

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2025 को आहूत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री सरवणन एम0, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
2. श्री सुरेन्द्र प्रसाद, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
3. श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर - सदस्य।

कार्यवाही:-

1. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
2. विगत बैठक दिनांक 11.01.2025 की कार्यवाही के अनुपालन का निदेश दिया गया।
3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।
4. सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्र0	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का निर्देश एवं शपथ-पत्र, वांछित कागजात।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
6	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
7	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में vehicle location tracking device स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।
9	परिवहन विभाग, बिहार अधिसूचना संख्या 8866 दिनांक 09.07.2024	मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करने के संबंध में।

✍ ✍ ✍

5. माह जनवरी-2025 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त हुए कुल-48 आवेदनों एवं पूर्व के लंबित 02 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसका समेकित विवरण निम्नवत् है:-

नये आवेदन	दिसम्बर 2024 का लंबित आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	अगली बैठक में निर्णय हेतु सुरक्षित
48	02	25	18	05	01

6. प्राधिकार की बैठक दिनांक 30.10.2024 एवं 14.11.2024 को समय अन्तराल पर सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय निम्नवत् है :-
- (क) प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :- किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।
- (i) पटना या मुजफ्फरपुर से किसी भी मार्ग पर परिचालित वाहनों के प्रस्थान समय के पहले या बाद में न्यूनतम 3 (तीन) मिनट समय अन्तराल अनुमान्य होगा।
- (ii) पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर किसी अन्य पड़ाव स्थल से परिचालित वाहनों के लिए मार्ग भिन्न होने की स्थिति में यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम हो तब भी प्रारंभिक स्थल पर पहले या बाद में न्यूनतम समय अन्तराल 3 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा। यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक हो तो प्रारंभिक स्थल पर पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।
- (ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :- किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले या बाद में (Before/After) न्यूनतम 03 (तीन) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।
- (i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले या बाद में 03 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा।
- (ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहनों का प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट (पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर) अनुमान्य होगा, परन्तु मार्ग भिन्न एवं कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने पर पहले या बाद में समय अन्तराल 3 मिनट अनुमान्य होगा।
7. **Overlapping of Route** एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है, दूसरे मार्ग के परमिट धारक आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट है कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो एवं एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से कम आच्छादित करता हो तो दोनों मार्गों को भिन्न मानते हुए परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा तथा जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो तो उन दोनों मार्गों को समान मानते हुए तदनुसार परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा।
8. **नये आवेदन संबंधी दिशा निर्देश** :- परमिट निर्गत करने हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन, प्रकाशित समय-सारणी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर लिया जाता है। किसी प्रकार का त्रुटि न हो इसके लिए कार्यालय अभिलेख के रूप में निम्नलिखित कागजातों की पठनीय/स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा करना आवश्यक है :-
- (i) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

- (ii) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (iii) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र (Fitness) की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (iv) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (v) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (vi) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (vii) HSRP स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (viii) आवेदित मार्ग का वैध नक्शा।
 (ix) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन ऑनलाईन आवेदन के List of Documents के क्रमांक 22 में फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करेंगे।
 (x) विहित प्रपत्र में 22 बिंदु का शपथ-पत्र।

नोट:—शपथ पत्र पर निबंधन पुस्त के अनुरूप ही वाहन स्वामी का नाम/पता अंकित किया जाएगा।

- (xi) वाहन के अन्दर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ (वाहन-6, वाहन स्वामी-1)
 (xii) वाहन स्वामी का आधार कार्ड/पैन कार्ड/आवासीय प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 (xiii) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर।
 (xiv) वाहन के चालक एवं कंडक्टर की अनुज्ञप्ति स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 (xv) पुराना परमिट समय-सारणी के साथ (यदि वाहन परमिट से आवृत्त हो)
 (xvi) बैनर का नाम (बैनर अंतर्गत परिचालित सभी वाहनों की सूची अवश्य संलग्न करें)
 (xvii) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (मोबाईल नं० एवं पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रुपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।
 (xviii) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) —मार्ग संख्या के साथ अंकित भाया के अनुरूप समय-सारणी का प्रकाशन करते हुए उसकी मूल प्रति समर्पित की जाए। दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर एवं अधिसूचित मार्ग के अनुरूप पड़ाव स्थल अंकित नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा शपथ-पत्र में उल्लेख करना होगा कि समय-सारणी में कहीं भी गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

समय-सारणी का प्रपत्र

वाहन संख्या—..... रूट संख्या—..... (.....से.....तक) वाया—.....

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

9. आवेदित वाहनों के समय-सारणी का प्रकाशन:—

- (i) प्राधिकार के निर्णयानुसार आवेदक द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन एवं मूल संचिका में संलग्न समय-सारणी को बिना संशोधित किए दावा/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु कार्यालय के वेबसाइट पर तथा सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना है। अतः आवेदक की जिम्मेवारी है कि अधिसूचित मार्ग संख्या एवं अंकित भाया के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन एवं त्रुटि रहित समय-सारणी समर्पित की जाए। ऑनलाईन एवं ऑफलाइन आवेदन में विसंगति पाये जाने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
 (ii) यदि किसी वाहन को परमिट की स्वीकृति दी जाती है तथा बाद में समय-सारणी या वाहन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होता है, तब प्राधिकार द्वारा तथ्यों की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(Handwritten signatures)

10. आपत्ति आमंत्रित करना:-
- (i) प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदनों को एजेंडा के रूप में संकलित किया जाता है एवं "पहले आओ-पहले पाओ" First in-First out (FIFO) के नियम के आधार पर आवेदन को तिथि/समय के क्रमानुसार संधारित किया जाता है।
- (ii) समय-सारणी प्रकाशन पर आपत्ति के लिए शुल्क के रूप में 1000/-रु० निर्धारित है।
- (ii) प्राधिकार को समय-सारणी प्रकाशन पर आपत्ति से इतर किसी विशेष सूचना देने पर कोई आपत्ति शुल्क देय नहीं है। कार्यालय सूचना को एजेंडा/प्रोसिडिंग में प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

11. आपत्तिकर्ता का दायित्व :-
- (i) आपत्तिकर्ता परमिट से आवृत वाहनों से ही आपत्ति दर्ज करेंगे एवं आपत्ति करते समय संबंधित वाहनों के सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, इन्श्यूरेंस, फिटनेस, प्रदूषण, एच०एस०आर०पी०, भी०एल०टी०डी० अद्यतन एवं अधिरोपित जुर्माना की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा मान्य कागजात/जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना रु० 10000/- अधिरोपित किया जाएगा तथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह का आवेदन स्वयं उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारणवश वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हो सके तो अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण पत्र एवं संबंधित प्रतिनिधि का पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करते हुए कार्यालय के काउण्टर पर जमा किया जा सकता है।
- (iii) प्रायः देखा जा रहा है कि वास्ते लिखकर एक प्रतिनिधि द्वारा अनेक वाहन स्वामी का हस्ताक्षर कर बेवजह आपत्ति दर्ज किया जा रहा है, जिससे अवांछित आपत्ति प्राप्त होता रहता है एवं कार्यालय का समय बर्बाद होता है। अतः आपत्ति/आवेदन की प्रामाणिकता स्थापित हो सके इसके लिए भविष्य में वास्ते से हस्ताक्षरित सभी आवेदन / आपत्ति में वाहन स्वामी का प्राधिकरण पत्र एवं पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। प्राधिकरण पत्र की एक मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, ताकि जरूरत पड़ने पर छायाप्रति को मूल कार्यालय प्रति से मिलान किया जा सके।
- (iv) कार्यालय में किसी काम से आनेवाले प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ वाहन स्वामी द्वारा उनके नाम से निर्गत प्राधिकरण पत्र के साथ मान्य पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य है, जाँच के दौरान उक्त का उल्लंघन करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।
- (v) यदि किसी वाहन स्वामी को अपनी शिकायत/बात रखनी हो तो इस प्राधिकार का ई-मेल:- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर जानकारी को ऑनलाईन भेज सकते हैं अथवा संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, तिरहुत, मुजफ्फरपुर के समक्ष उपस्थित होकर शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं।

12. वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी/गति सीमा :- सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)	
		असीमित	
1	0-5	600	
2	5-10	400	
3	10-15	100	
4	15 वर्ष से अधिक		

४

७

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन की आयु परमिट की वैधता की तिथि के पूर्व ही 15 वर्ष हो जायेगी, उसके वाहन स्वामी 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पहले उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे।

13. **गति सीमा का पालन :-** सभी आवेदक/वाहन स्वामी से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-8 में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

सामान्य बस- 20-60 कि०मी०/घंटा

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनान्तर्गत-10-60 कि०मी०/घंटा

नोट:- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनान्तर्गत क्रय किए गए वाहनों का परमिट हेतु आवेदन केवल मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना (MMPPY) अन्तर्गत अधिसूचित/निर्धारित मार्ग पर ही स्वीकार किया जाएगा।

14. **बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :-** सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राईवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 30.06.2023 की बैठक में सभी बस मालिकों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि अपने बसों के दोनों तरफ (i) परमिटधारी का नाम एवं पता (ii) परमिट संख्या एवं वैधता (iii) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (iv) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लें।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि बसों की जाँच उपरोक्त निदेशानुसार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

15. **सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में Vehicle Location Tracking Device स्थापित एवं सक्रिय होना:-** सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, परन्तु अभी भी अधिकांश बस मालिकों द्वारा अपने बस में V.L.T.D. स्थापित नहीं कराया गया है।

अतएव सभी वाहन मालिकों को निदेश है कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) कराना सुनिश्चित करें। V.L.T.D. स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे।



साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में V.L.T.D. स्थापित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को पुनः निदेश दिया गया कि बसों में V.L.T.D. की सक्रियता की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें।

16. **उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ :-** जिन वाहन स्वामी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया अपना कर आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की अगली बैठक में "पहले आओ-पहले पाओ" **First in-First out (FIFO)** के नियम के आधार पर आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।
17. **स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण :-**
कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।
(i) परमिट की मूल प्रति।
(ii) फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (यदि वाहन हाईपोथिकेशन पर हो)
(iii) प्रयोजन का साक्ष्य।
(iv) आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
(v) सनहा (यदि परमिट खो गया हो/नष्ट हो गया हो)

नोट :-स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण (यदि फाईनेन्सर द्वारा गाड़ी की नीलामी की गई हो) :-
कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।
(i) परमिट की मूल प्रति।
(ii) फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
(iii) फाईनेन्सर का अनुशंसा पत्र (विक्रय किए गए वाहन स्वामी का सभी संबंधित दस्तावेज अनुलग्नक के साथ)
(iv) प्रयोजन का साक्ष्य।
(v) फाईनेन्सर का निबंधन संबंधी साक्ष्य।
(vi) सनहा (यदि परमिट की मूल प्रति फाईनेन्सर को सुपूर्द नहीं किया गया हो)

18. **स्टेज कैरेज परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई :-**
परमिट से संबंधित इस प्राधिकार के द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय, राज्य परिवहन प्राधिकार, पटना के निर्णय एवं विभागीय निदेश के आलोक में समय-समय पर सूचनाओं को समाचार पत्र एवं इस प्राधिकार के वेबसाइट के माध्यम से प्रचारित किया जाता है तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम-1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989, बिहार मोटरयान नियमावली-1992 एवं बिहार करारोपण अधिनियम-1994 की सुसंगत धाराओं एवं नियम के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जाती है।
19. **बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :-**सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गयी कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराहन् 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

४

७

20. सशर्त परमिट स्वीकृति के मामलों में शर्त का अनुपालन/जुर्माना राशि अदा करना :- प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से जिन आवेदनकर्ताओं का आवेदन सशर्त स्वीकृत किया गया, उनसे अद्यतन मान्य कागजात, अधिभार की राशि, प्रक्रिया शुल्क एवं यदि जुर्माना किया गया हो तो जुर्माना की राशि चालान से 10 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से जमा कराकर तदनुसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आगामी बैठक से पहले तक वे अपना परमिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को निष्पादित (dispose off) करते हुए उक्त टाइम स्लॉट को खाली कर दिया जाएगा।

कई वाहन स्वामियों द्वारा आवेदन दिया गया है कि कोर्ट में जुर्माना लंबित होने के कारण अनुपालन में देरी होती है, जैसे वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि प्रतिमाह आवेदन देने के अंतिम तिथि के पूर्व सभी जुर्माना जमा करा कर निष्पादन करा लें। जुर्माना जमा होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किया जायेगा। कोर्ट में लंबित जुर्माना निष्पादित करने हेतु कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि आवेदन की तिथि से कम से कम अगले 3 (तीन) माह तक वाहन का सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि परमिट को उनके घर भेजने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

21. कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :- परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ-पत्र इत्यादि की जाँच कर, बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक)

22. परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :- प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन स्वामी परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इस तरह के मामले पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी डी0टी0ओ0 को जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

23. परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहनों की जाँच :- इस प्राधिकार के आदेश सं0- 3040 दिनांक 08.08.2024 के द्वारा वाहनों का भौतिक सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर (तिरहुत प्रमंडल) में पदस्थापित मोटरयान निरीक्षक को प्राधिकृत किया गया है। अतः प्राधिकार के परमिट से संबंधित सभी वाहनों का निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन मोटरयान निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन: मोटरयान निरीक्षक, आर0टी0ए0 मुजफ्फरपुर)

24. परमिट के नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन करने के संबंध में निर्णय :- परमिट नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं ऑनलाईन किये जाने वाले जैसे मामले :-
(i) जिसमें परमिट पर अंकित सभी भाया संबंधित मार्ग पर अच्छादित/अंकित हो तो उस मार्ग के अन्य ठहराव स्थल को बाईपास कर परमितों का नवीकरण किया जा सकेगा।



- (ii) जिसमें अधिसूचित मार्ग पर अंकित भाया से पुराने परमितों में अंकित कुछ भाया अतिरिक्त जुड़े हुए हैं, तो वैसे मामलों में संबंधित वाहन स्वामी के अनुरोध के आलोक में उनसे प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी से निर्गत शपथ-पत्र के साथ सहमति पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त भाया को विलोपित करते हुए जाँचोपरान्त यथा उपयुक्त अधिसूचित मार्ग पर नवीकरण/प्रतिस्थापन किया जा सकेगा।
- (iii) जिसमें अबतक मार्ग अधिसूचित नहीं हो पाया है उसे परिवहन विभाग, बिहार, पटना को मार्ग अधिसूचित करने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। इस तरह के मामले पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, की बैठक में आवेदनों के निष्पादन हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
25. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8135 दिनांक 23.11.2020, पत्रांक 8473 दिनांक 14.12.2020, पत्रांक 8471 दिनांक 14.12.2020 एवं ज्ञापांक 13100 दिनांक 30.10.2024 के आलोक में वाहन परिचालन हेतु निर्गत किये गये परमिट का शत-प्रतिशत इन्ट्री वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में किया जाना बाध्यकारी है। इस हेतु सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के कार्यालय से दिनांक 15.11.2024, दिनांक 26.11.2024, दिनांक 29.11.2024 तथा दिनांक 07.12.2024 को सभी वाहन स्वामियों को आम सूचना द्वारा सूचित किया गया था कि प्राधिकार द्वारा निर्गत मैनुअल परमिट को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री करवाना सुनिश्चित किया जाए। लेकिन अभी तक इस कार्य हेतु बहुत ही कम आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राधिकार द्वारा निर्गत वैसे परमिट जिसे अभी तक वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री नहीं करवाया गया है उसे 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से मैनुअल परमिट टाईम स्लॉट के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी मैनुअल परमिट को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री करवाया जा सकें। अन्यथा वर्णित समयावधि के बाद मैनुअल परमिट का टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, प्राधिकार की आगामी बैठक में मैनुअल परमिट से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा की गई शमन कार्रवाई या अन्य शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
26. प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :- प्राधिकार द्वारा निदेश दिया गया कि प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन स्वामी या उनके वैध प्रतिनिधि (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई0डी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे।
27. कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों के कागजात की जाँच कर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा कृत कार्रवाई की सूचना बैठक से एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को भी देंगे। अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।
- अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित वाहनों के कागजात की जाँच कर सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो।
28. समान मार्ग संख्या वाले परमिट से कार्यालय अभ्युक्ति अंकित किया जाना :- कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमितों के मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया जाता है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया जाता है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमिट से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध में विचार किया जाता है, जिसपर आपत्ति प्राप्त होती है। मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।
29. परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु:- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा लगातार टाईम स्लॉट में चार-पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है। टाईम-स्लॉट घेर कर रखा जाता है, ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सकें।

४

७

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी। परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम-स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम-स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सकें एवं यात्रीगणों को सुविधा मिले।

30. फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई :- प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा सभी बसों के बीमा प्रमाण-पत्र की जाँच कराने का निर्णय लिया गया। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

31. आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :-

- (क) वाहन स्वामियों को पुनः निदेश दिया गया कि परमिट से आवृत्त वाहनों के लिए किसी अन्य मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन देना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले पूर्व का परमिट कार्यालय में प्रत्यर्पित कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत किया जा सके, अन्यथा बाद में प्रत्यर्पित परमिट पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ख) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन पूर्व से परमिट से आवृत्त है एवं उसी वाहन से उसी मार्ग पर नया परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया हो तो परमिट प्रत्यर्पण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु परमिट निर्गमन की तिथि से छः माह बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन के समय का टकराव उनके अन्य परमिट आवृत्त वाहन से हो रहा हो एवं वाहन स्वामी खेप कटाव नहीं चाहते हों तो इसके लिए पूर्व निर्गत परमिट को बैठक की तिथि से बैठक की तिथि छोड़कर सात दिन पूर्व तक प्रत्यर्पण करना आवश्यक है।

नोट :-राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में स्थायी परमिट का प्रत्यर्पण परमिट निर्गमन की तिथि से छः माह के बाद ही किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्यर्पण की शर्त पर नया परमिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

32. दो पड़ावों के बीच दूरी :- कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग-अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय सॉफ्टवेयर में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाएगा। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को सॉफ्टवेयर में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा।

33. High Security Registration Plate :- केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के समक्ष परमिट हेतु प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न फोटो की जाँच करने पर पता चलता है कि कतिपय वाहनों में H.S.R.P. नहीं लगा है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वे अपने सभी परमिट आवृत्त वाहनों एवं आवेदित वाहनों पर H.S.R.P. लगाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व से लगाये H.S.R.P. को वाहन पोर्टल पर अद्यतन कराना भी सुनिश्चित करें यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। H.S.R.P. अद्यतन नहीं होने पर प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

३ ४ ५

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि H.S.R.P. अद्यतन कराने संबंधी वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करें एवं अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी वाहनों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करें।

34. नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा।

35. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना :- परिवहन विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 8866 दिनांक 09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्देशीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है। MIMPPY योजना के तहत प्राप्त बसों के मालिकों को निदेश दिया गया कि वे योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर ही परिचालन हेतु आवेदन समर्पित करें। इस योजना के तहत किये गये आवेदन पर अन्य निजी वाहन मालिकों द्वारा दिये गये आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना से आच्छादित लाभुकों को परमिट हेतु आवेदन संबंधित सारी जानकारी देने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन: सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत, प्रमंडलान्तर्गत)

36. वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में मोबाईल नं० अद्यतन कराने के संबंध में :- परिवहन विभाग, बिहार पटना द्वारा चालक अनुज्ञप्ति तथा वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र से मोबाईल नं० लिंक नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश संसूचित है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में मोबाईल नं० अद्यतन करा लें अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

37. ए०टी०एस० द्वारा निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र पर निर्णय :-राज्य सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के द्वारा वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मोटरयान निरीक्षक (MVI) को सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। परिवहन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 7795 दिनांक 15.05.2024 द्वारा फिटनेश प्रमाण पत्र का निर्गमण सक्षम प्राधिकार (मोटरयान निरीक्षक) के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर के उपरान्त VAHAN AFMS पोर्टल से करने हेतु निदेश संसूचित है। अतः ए०टी०एस० द्वारा निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र उक्त के अनुरूप नहीं होने के कारण प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से अवैध मानते हुए संबंधित वाहन के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

38. (क) स्टेज कैरेज परमिट का स्वामित्व हस्तान्तरण :-

परमिट होल्ड करना :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01, पर जमा कराना आवश्यक है।

(i) परमिट की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ii) प्राधिकार को की गई सूचना की स्वअभिप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो सक्षम प्राधिकार से निर्गत वंशावली)

(iii) वाहन स्वामी की स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड/मृत्यु की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।

३

३

(ख) परमिट रिस्टोर करना :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- (i) परमिट की मूल प्रति।
- (ii) वाहन के सभी मान्य कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (iii) स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड।
- (iv) प्रयोजन का साक्ष्य।
- (v) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (मोबाईल नं० एवं पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रुपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।
- (vii) स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का फोटो (वाहन-6, वाहन स्वामी-1)
- (viii) मोटरयान निरीक्षक, का जाँच प्रतिवेदन। (परमिट पुर्नस्थापित करने संबंधित वाहन का)

(ग) नये एजेंट अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- (i) आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।
- (iii) उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (iv) शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (v) आवेदक का फोटो-03

(घ) एजेंट अनुज्ञप्ति का नवीकरण हेतु आवेदन :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- (i) आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।
- (iii) उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (iv) शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (v) आवेदक का फोटो-02
- (vi) एजेंट अनुज्ञप्ति की मूल प्रति।

39. स्थायी स्टेज कैरेज परमिट से संबंधित प्राधिकार का अन्य निर्णय :-

(i) बिहार मोटरयान नियमावली-1992 के नियम-79(1)(c) के अनुसार स्टेज कैरेज परमिट आवृत वाहनों को यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्राधिकार द्वारा अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार निर्धारित रूट पर नियमित रूप से परिचालन किया जाना है। अतः स्थायी परमिट से आवृत बसों को यात्री हित में देखते हुए स्पेशल परमिट निर्गत नहीं किया जाएगा। केवल स्पेयर वाहनों/बसों को ही स्पेशल परमिट दिया जाएगा।

(ii) परमिट से आवृत वाहनों का परिचालन अनुमान्य दूरी के अनुरूप किया जाना है, वाहन स्वामियों का दायित्व है कि निर्धारित समय सीमा में वाहनों को उच्च मॉडल से प्रतिस्थापन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है, उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

६

*

५

(iv) बिहार मोटरयान नियमावली-1922 के नियम-16(c) एवं 29(i) के अनुसार वाहन चालक तथा कंडक्टर का दायित्व है कि वाहन के यात्री कम्पार्टमेंट को साफ एवं स्वच्छ रखें जिससे यात्रियों के स्वास्थ्य-रक्षा सुनिश्चित हो सके, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों/कंडक्टरों/वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


(v) किसी भी स्थिति में आवेदित समय-सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन नहीं किया जाएगा।

40. परमिट संबंधी मामलों में जनहित एवं जीवनक्षति को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त के अलावे प्राधिकार द्वारा अन्य निर्णय भी लिए जा सकते हैं।

स्वच्छ एवं स्वस्थ व्यवस्था बनाने में वाहन स्वामियों, आपत्तिकर्ताओं एवं अन्य पक्षकारों से अपेक्षाओं के साथ अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।


अपर समाहर्ता,
(राजस्व)
मुजफ्फरपुर।


30.01.25
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।


30/01/2025
आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक.....63...../

मुजफ्फरपुर, दिनांक 31/01/2025/

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/दरभंगा/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30.01.25
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

January-2025

क्षेत्रीय पाठ्यक्रम प्राधिकार, मुजफ्फरपुर कोषाखं

दिनांक-30.01.2025 की कार्यावली।

समय:-11:00 बजे पूर्वाह्न से,

स्थान:-आयुक्त कार्यालय, प्रकोष्ठ

४

७

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक दिनांक-30.01.2025 की कार्यावली।

पृष्ठ सं०

कार्यावली सं०-(1)	1	गत बैठक दिनांक 11.01.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन	परिशिष्ट-I		
कार्यावली सं०-(2)	प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।		परिशिष्ट-II		
	(I)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट - (01 से 28 दिन) तक।			
	(II)	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन) तक।			
	(III)	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)			
	(IV)	जनता मालवाहक का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)			
	(V)	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (एक वर्ष)।			
	(VI)	प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण एवं स्थायी प्रतिस्थापन किये गये परमितों की सूची।			
	(VII)	अध्यक्षीय आदेश के आलोक में बैठक में सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामंतरित एवं रद्द किये गये परमितों की सूची।	परिशिष्ट-III		
कार्यावली सं०-(3)	(i)	बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट-IV		
	(ii)	एजेन्ट लाईसेन्स के प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट-V		

४

५

६

<u>कार्यावली संख्या-2(I-V) परिशिष्ट-II</u> <u>प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची:-दिनांक 01.12.2024 से 30.01.2025 तक।</u>	
1	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (01 से 28 दिन)-अस्थायी (विशेष) परमिट संख्या- BR2025-SPL-1847A तक।
2	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन)- अस्थायी परमिट संख्या - शून्य।
3	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
4	जनता मालवाहक हल्का वाहन/मध्यम वाहन एवं भारी वाहन का स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
5	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (01 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।

कार्यावली संख्या-2 (VI)		परिशिष्ट-II			
प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गये परमिटों की सूची।					
क्र०सं०	वाहन स्वामी का नाम/पता	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	नवीकृत परमिट की वैधता	अभियुक्ति
1	श्री संतोष कुमार राय, पता-रामनगर, हरिनगर, जिला-प० चम्पारण।	BR06PB-5525 /14-01-2013	0145/2014	29-09-2029	
2	श्री भोला कुमार, पता-नरकटियागंज, पुरानीबजार, जिला-प० चम्पारण।	BR06PE-4391 /16-09-2019	550/2019	30-09-2029	
3	श्रीमती शीला मिश्रा, पता-रसुलपुर जिलानी वार्ड नं० 10, मुजफ्फरपुर।	BR31AH-4879 /26-04-2019	BR/106/SC/BUS/2019/75	16-12-2029	
4	श्री शम्भु कुमार सिंह,, पता- कृष्णापुरी भगवानपुर चौक, जिला-मुजफ्फरपुर।।	BR06PE-9696 /18-01-2019	BR/106/SC/BUS/2019/60	12/12/2029	
5	श्री रमेश कुमार, पता-वार्ड नं०- 02 किशुन नगर कान्ती अमैठा सरैया, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PE-1502 /06-02-2019	BR/106/SC/BUS/2019/62	12/12/2029	
6	श्री मुकेश शर्मा, ,खबरा , सदर जिला- मुजफ्फरपुर।।	BR06PE-5468 /16-10-2019	BR/106/SC/BUS/2019/35	9/12/2029	
7	श्री शिव चन्द्र सिंह, पता-कृष्णापुरी, भगवानपुर चौक, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PC-9496 /24-06-2014	256/2014	7/10/2029	
8	श्री राजीव कुमार सिंह, पता-कृष्णा कम्पलैक्स, बारा चकिया, , जिला-पूर्वी चम्पारण।	BR06PC-9396 /12-07-2014	0062/2009	2/3/2029	
9	श्री उदय शंकर प्रसाद, पता-नियर दूर्गा मंदिर, शेरपुर, मझौलीया, नारायणपुर अनंत, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PF-8643 /30-05-2023	BR/106/SC/626/2009	21-11-2029	
10	श्री भोला कुमार, पता-नरकटियागंज, पुरानीबजार, जिला-प० चम्पारण।	BR06PC-9221 /14-11-2013	166/2014	29-09-2029	
11	श्री राकेश कुमार झा, पता-नया टोला, स्पीकर,, चौक, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PD-1751 /16-09-2016	0237/2014	6/10/2029	
12	श्री मुकेश शर्मा, ,खबरा , सदर, जिला- मुजफ्फरपुर।।	BR06PC-6968 /18-09-2015	265/2019	5/9/2029	
13	श्री मृत्युजंय शरण ठाकुर, पता-पंडित भवन, कच्ची सराय, मिठनपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR22PA-5945 /22-07-2023	BR/106/SC/BUS/2019/104	19-12-2029	
14	श्रीमती रेणु शर्मा, पता- कनुआ, पिपराढी, जिला-शिवहर।	BR30p-5311 /24-03-2014	239/2014	7/10/2029	
15	श्री उदय शंकर प्रसाद, पता-नियर दूर्गा मंदिर, शेरपुर, मझौलीया, नारायणपुर अनंत, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR31PA-9543 /15-04-2019	BR/106/SC/BUS/2019/87	16-12-2029	
16	श्री नागेश्वर राय, पता-रून्नीसैदपुर, जिला-सीतामढी।	BR30PA-7961/19-06-2019	272/2019	5/9/2029	

६

५

७

कार्यावली संख्या-3(i) - परिशिष्ट-IV

माह जनवरी- 2025

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्वाहन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अशुद्धि	विवरण	निर्णय
1	श्री ध्रुव कुमार, पिता-रखो सीताराम प्रसाद, पता- गौधीनगर, बगहा, जिला-प० चम्पारण। बैनर-लव कुश बस सर्विस प्रा०लि०	बी.आर. 22 पी.ए.-5985 26.07.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 22 पी.ए. -5985 टेक्स-24.01.2025 फिटनेश-25.07.2026 इन्श्युरेंस-31.07.2025 प्रदूषण-25.07.2025 वीएलटीडी-26.07. 2026 एच०एस०आर०पी०- है। जुर्माना- नहीं।	मार्ग संख्या-4804 वाल्मिकीनगर से बलुआ चौक। भाया-भेड़िहारी, नौरगिया, वाल्मिकीनगर रोड स्टेशन, बगहा स्टेशन, बगहा बाजार, चौतरवा, परसौनी, लौरिया, बेतिया, छपवा, मोतिहारी बस स्टैण्ड, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। वाल्मिकीनगर प्र०-08.01 बलुआ चौक प्र०- 13.24	1. आपत्तिकर्ता श्री जटा शंकर सिंह, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ई. -9845 परमिट सं०-276/2019 मार्ग सं०-3823 वाल्मिकीनगर से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-14.54, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-14.58 समय अंतराल 04 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित मार्ग एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग 40 प्रतिशत से अधिक समान है तथा आवेदक के नाम से निबंधित अन्य वाहन सं०-बी०आर० 06 पी०डी०-1256 का बेतिया प्रारंभ 14:52 पूर्व से निर्गत है। 2. आपत्तिकर्ता श्री दिपेन्द्र कुमार सिंह, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ए. -2445 परमिट सं०-बी.आर. 2021 एस.सी. -1092ए. मार्ग सं०-4804, वाल्मिकीनगर से बलुआ चौक। आवेदक बेतिया प्र०-11.27, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-11.28 समय अंतराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक के अन्य वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.डी. -1256 पर निर्गत परमिट में बेतिया प्रस्थान 14.52 एवं आवेदित समय-सारणी में बेतिया प्रस्थान 14.54 है। 3. आपत्तिकर्ता श्री दिलीप ठाकुर वास्ते अंकित कश्यप, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी. एफ. -5225, परमिट सं०-बी.आर. 2022 एस.सी. -2636ए. मार्ग सं०-4700, रामनगर से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-14.54, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-14.53 समय अंतराल 01 मिनट। आवेदक लौरिया प्र०-15.36, आपत्तिकर्ता लौरिया प्र०-15.38 समय अंतराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निर्देशानुसार मध्य बिंदु पर समय अंतराल 03 मिनट निर्धारित किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा मध्य बिंदु पर 01 एवं 02 मिनट का समय अंतराल प्रकाशित किया गया है।	1. बी.आर. 06 पी.ई.-9845 टेक्स-2403.2025 फिटनेश-20.07.2025 इन्श्युरेंस-26.06.2025 प्रदूषण-18.09.2025 वीएलटीडी-21.07.2027 एच०एस०आर०पी०- है। जुर्माना- नहीं। 2. बी.आर. 06 पी.ए.-2445 टेक्स-13.04.2025 फिटनेश-04.09.2025 इन्श्युरेंस-16.01.2026 प्रदूषण-16.12.2025 वीएलटीडी-05.09.2025 एच०एस०आर०पी०- नहीं। जुर्माना- नहीं। 3. बी.आर. 06 पी.एफ.-5225 टेक्स-29.03.2025 फिटनेश-11.06.2026 इन्श्युरेंस-28.03.2025 प्रदूषण-26.05.2025 वीएलटीडी-27.12.2025 एच०एस०आर०पी०- है। जुर्माना- नहीं।	आवेदन वापस।		आवेदन वापस।

६

८

७

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं नैनर	वाहन संख्या/निर्माण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	यात्रा एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अस्त्युक्ति	विवरण	निर्णय
2	श्री मनोज कुमार पिता-श्री विन्देश्वर सिंह, पता- वार्ड नं०-02 गैघट, थुम्मा, रून्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी। नैनर का नाम-N/A	बी.आर. 30 पी.-7297 18.09.2014 मॉडल-2014	बी.आर. 30 पी.- 7297 टैक्स-04.03.2025 फिटनेश-19.09.2025 इन्श्युरेंस-05.09.2025 प्रदूषण-08.08.2025 वीएलटीडी-17.10.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2740 सीतामढ़ी से भिठामोर। भाया-सुरसंड, प्रतिदिन पाँच खेप जाना आना। सीतामढ़ी प्र०-03.40, 10.35, 14.09, 17.51, 21.20, भिठामोर प्र०-04.51, 12.20, 16.41, 19.37, 22.20,	1. आपत्तिकर्ता श्री निरज कुमार वारते शैलेन्द्र कुमार सिंह, वाहन सं०-बी.आर. 30 पी.ए, -5015 परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी०-1375ए. मार्ग सं०-2740 डाउन, भिठामोर से सीतामढ़ी। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-10.35 आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-10.30 समय अंतराल 05 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित वाहन पर दिनांक 14.12.2024 को परमिट निर्गत है। आवेदक द्वारा सीतामढ़ी से सुरसंड की दूरी 32.5 कि०मी० एवं सुरसंड से भीठामोर की दूरी 7.5 कि०मी० दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक दूरी क्रमशः 33 कि०मी० एवं 7 कि०मी० है।	1. बी.आर. 30 पी.ए, -5015 टैक्स-31.03.2025 फिटनेश-28.06.2026 इन्श्युरेंस-07.03.2025 प्रदूषण-30.06.2025 वीएलटीडी-28.06.2026 एच०एस०आर०पी०- हैं। जुर्माना- नहीं।	प्राधिकार के निर्णयानुसार परमिट प्रत्यर्पण/निर्गमन परमिट निर्गत की तिथि से छः माह बाद ही अनुमान्य है।		अस्वीकृत।
				2. आपत्तिकर्ता श्री अमरत्या कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ई -8751 का कहना है कि आवेदित वाहन का परमिट 14.12.2024 को निर्गत है, प्राधिकार के निर्णयानुसार परमिट से आवृत वाहन छः माह के बाद ही परमिट का प्रत्यर्पण/परमिट हेतु नया आवेदन कर सकता है।	2. बी.आर. 06 पी.ई.-8751 टैक्स-04.02.2025 फिटनेश-31.08.2025 इन्श्युरेंस-29.08.2025 प्रदूषण-17.08.2025 वीएलटीडी-22.03.2025 एच०एस०आर०पी०- हैं। जुर्माना- नहीं।				

३

+

७

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / विन्डु की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय शारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अस्थिति	विवरण	निर्णय
3	श्री शैलेन्द्र कुं सिंह / बि०रा०प०प०नि०, पिता-श्री राम सुन्दर सिंह, पता-वार्ड नं० 15 बसंत बिहार, नहर चौक, राजोपट्टी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-बि०रा०प०प०नि०।	बी.आर. 30 पी.ए.-1855 19.08.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 30 पी.ए.-1855 टैक्स-18.02.2025 फिटनेश-12.08.2026 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-03.10.2025 वी.एल.टी.डी.-09.08.2025 एच०एस०आर०पी०- है। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4834 भिरवा बाजार से पटना। भाया-परिहार, सुरसंड, रसुलपुर, पुपरी, महुआगाछी, रून्नीसैदपुर, खनुआघाट, टेंगराहा, पीपरा, मीनापुर, झपहों, द्रोणपुर, मुजफ्फरपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। भिरवा बाजार प्र०-04.33 पटना प्र०-15.35	1. आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 30 पी.ए. -0783 परमिट सं०-बी.आर. 2020 एस.सी. -0258ए. मार्ग सं०-3753, भिठामोर से पटना। आवेदक महुआगाछी प्र०-06.57, आपत्तिकर्ता महुआगाछी प्र०-06.55 समय अंतराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निदेशानुसार मध्य बिन्दु पर 03 मिनट का समय अंतराल आवश्यक है। आवेदित वाहन परमिट से आवृत है जिसे प्रत्यर्पित नहीं किया गया है। आवेदित दुरी 177 कि०मी० जबकि सॉफ्टवेयर मे मार्ग सं०-4834 की दूरी 170 कि०मी० है।	1. बी.आर. 30 पी.ए.-0783 टैक्स-04.02.2025 फिटनेश-10.06.2025 इन्श्युरेंस-12.04.2025 प्रदूषण-09.02.2025 वीएलटीडी-06.06.2025 एच०एस०आर०पी०- है। जुर्माना- 4000/-	एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त आवेदक द्वारा सूचित किया गया कि आवेदित वाहन बी०एस०आर० टी०सी० के अन्तर्गत परिचालित है। पूर्व से निर्गत परमिट प्रत्यर्पन हेतु कार्यालय में समर्पित है।		आपत्ति 2 के आलोक में अस्वीकृत।
				2. आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 30 पी.ए. -0784 परमिट सं०-बी.आर. 2023 एस.सी. -1384ए. वैधता-08.05.2028 (STA) मार्ग सं०-22 डाउन, मधवापुर से पटना। आवेदक पटना प्र०-15.35, आपत्तिकर्ता पटना प्र०-15.34 समय अंतराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निदेशानुसार 03 मिनट का समय अंतराल आवश्यक है। आवेदित वाहन परमिट से आवृत है जिसे प्रत्यर्पित नहीं किया गया है। आवेदित दुरी 177 कि०मी० जबकि सॉफ्टवेयर मे मार्ग सं०-4834 की दूरी 170 कि०मी० है।	2. बी.आर. 30 पी.ए. -0784 टैक्स-04.02.2025 फिटनेश-09.06.2025 इन्श्युरेंस-12.12.2025 प्रदूषण-23.06.2025 वीएलटीडी-06.06.2025 एच०एस०आर०पी०- है। जुर्माना-8500/-	पटना प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 1 मिनट, जबकि 3 मिनट आवश्यक है।			

३

१

२

एजेन्डा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/बिन्दु की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
4	श्रीमती उजाला भारती/ बि०रा०प०प०नि०, पति- श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, पता-वार्ड नं० 15 बसंत बिहार, नहर चौक, राजोपट्टी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- बि०रा०प०प०नि०।	बी.आर. 06 पी.एफ.-1744 20.07.2021 मॉडल 2021	बी.आर. 06 पी. एफ.-1744 टैक्स-16.04.2025 फिटनेश-07.08.2025 इन्श्युरेंस-18.07.2025 प्रदूषण-25.01.2025 वीएलटीडी-17.07.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग सं०-4793 भिट्टामोड़ से पटना। भाया-सुरसंड, सोनवर्षा, भूतही, सीतामढ़ी पुरानी स्टैण्ड, सीतामढ़ी सरकारी बस स्टैण्ड, जुमरा, सैदपुर, मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, रामदयालु, हाजीपुर, मोठापुर, बाकीपुर, प्रतिदिन एक खेप आना-जाना। भिट्टामोड़ प्र०-09.57 पटना प्र०-21.15	1. आपत्तिकर्ता श्री अमन कुमार का कहना है कि भीठामोर से पटना मार्ग पर आवेदित वाहन सं०-बी.आर. 06 पी. एफ.-1744 में सुरसंड से सोनवर्षा की दूरी 15 कि०मी० अंकित है, जबकि गूगल मैप में उक्त दूरी 46 कि०मी० है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण एवं गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। ऐजेंडा प्रकाशन के उपरान्त वाहन स्वामी द्वारा सूचित किया गया कि आपत्तिकर्ता किसी वाहन का मालिक नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा न ही आपत्ति शुल्क जमा किया है और न ही कोई साक्ष्य समर्पित किया गया है।		आवेदन के साथ संलग्न नक्शा में सुरसंड से सोनवर्षा की दूरी 15 कि०मी० अंकित है। अतः आपत्ति मान्य नहीं। 22 बिन्दु का शपथ-पत्र संलग्न नहीं है।		रु० 5000/- जुर्माना के साथ शपथ पत्र जमा करने की शर्त पर स्वीकृत
5	श्री उपेन्द्र ठाकुर, पिता-श्री यदुनंदन ठाकुर, पता-नारायण भेरियाही, कॉंटी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- माँ ट्रेमल्स।	बी.आर. 06 पी.डी.-8145 13.06.2018 मॉडल 2018	बी.आर. 06 पी.डी.-8145 टैक्स-27.02.2025 फिटनेश-28.08.2026 इन्श्युरेंस-17.08.2025 प्रदूषण-21.08.2025 वीएलटीडी-20.08.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4752 पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर, पहाड़पुर, कॉंटी, महना बाजार, मोतिपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पीपराकोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप आना जाना। पटना प्र०-08.27 बेतिया प्र०-16.34	आपत्तिकर्ता श्रीमती नवनीता कुमारी, वाहन सं०-बी.आर.06 पी.ई.-6768 परमिट सं०-बी०आर० 2025 एस०सी०-0123ए. मार्ग सं०-4753, मुजफ्फरपुर से पटना। आवेदक पटना प्र०-08.27 आपत्तिकर्ता पटना प्र०-08.27 समय अंतराल शून्य।	बी.आर. 06 पी.ई.-6768 टैक्स-29.03.2025 फिटनेश-30.12.2025 इन्श्युरेंस-28.01.2026 प्रदूषण-05.02.2025 वीएलटीडी-03.09.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना- नहीं।	पटना प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य, जबकि 3 मिनट आवश्यक है।		अस्वीकृत।

६

४

७

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निष्पन्न की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आयति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय आयुक्ति	विवरण	निर्णय
6	श्री संजीव कुमार, पिता-श्री श्रीनाथ राय, पता-चैनपुर, पुपरी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- N/A	बी.आर. 06 पी.जी.-5492 02.01.2025 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.-5492 टैक्स-26.03.2025 फिटनेश-01.01.2027 इन्श्युरेंस-30-12-2025 प्रदूषण-01.01.2026 वीएलटीडी-25.02.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4860 डाउन। मुजफ्फरपुर से मधवापुर। माया-झपहॉ, कोआही, जनार, रुन्नीसैदपुर, महुआगाछी, पुपरी, चुरौत। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र0-04.10, 09.57, 14.29 मधवापुर प्र0- 07.20, 11.52, 17.40	1. आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार वास्ते पियुष, वाहन सं0-बी.आर. 30 पी.ए. -2429 परमिट सं0-बी.आर./ 106/एस.सी./ बस/ 2019/9, वैधता-08.12.2024 मार्ग सं0-3754, पुपरी से मुजफ्फरपुर। आवेदक रुन्नीसैदपुर प्र0-08.46, आपत्तिकर्ता रुन्नीसैदपुर प्र0-08.46 समय अंतराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित समय-सारणी मे मुजफ्फरपुर से मधवापुर की दूरी 89 कि०मी० प्रकाशित किया गया है, जबकि सॉफ्टवेयर मे मार्ग सं0-4860 डाउन की दूरी 65 कि०मी० है।	1. बी.आर. 30 पी.ए.-2429 टैक्स-31.01.2025 फिटनेश-16.11.2025 इन्श्युरेंस-13.05.2025 प्रदूषण-05.02.2025 वीएलटीडी-29.07.2025 एच0एस0आर0पी0- है। जुर्माना- नहीं।	प्रथम खेप में रुन्नीसैदपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य, जबकि 3 मिनट आवश्यक है।		प्रथम एवं द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
					2. आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार, वाहन सं0-बी.आर. 30 पी.ए. -2428 परमिट सं0-बी.आर./ 106/एस.सी./ बस/ 2019/9, वैधता-08.03.2025 मार्ग सं0-02774, सोनकी से मुजफ्फरपुर। आवेदक महुआगाछी प्र0-05.51, आपत्तिकर्ता महुआगाछी प्र0-05.50 समय अंतराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित समय-सारणी मे मुजफ्फरपुर से मधवापुर की दूरी 89 कि०मी० प्रकाशित किया गया है, जबकि सॉफ्टवेयर मे मार्ग सं0-4860 डाउन की दूरी 65 कि०मी० है।	2. बी.आर. 30 पी.ए.-2428 टैक्स-31.01.2025 फिटनेश-16.11.2025 इन्श्युरेंस-03.05.2025 प्रदूषण-09.02.2025 वीएलटीडी-29.07.2025 एच0एस0आर0पी0- है। जुर्माना- नहीं।	प्रथम खेप में महुआगाछी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 1 मिनट, जबकि 3 मिनट आवश्यक है।		
					3. आपत्तिकर्ता श्री प्रदीप केडीया, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी.ई. -5699 आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित समय-सारणी मे मुजफ्फरपुर से मधवापुर की दूरी 89 कि०मी० प्रकाशित किया गया है, जबकि सॉफ्टवेयर में मार्ग सं0-4860 डाउन की दूरी 65 कि०मी० है।	3. बी.आर. 06 पी.ई.-5699 टैक्स-12.02.2025 फिटनेश-11.12.2025 इन्श्युरेंस-30.07.2025 प्रदूषण-05.08.2025 वीएलटीडी-05.10.2025 एच0एस0आर0पी0- है। जुर्माना- नहीं।	सॉफ्टवेयर में मार्ग सं0-4860 डाउन की दूरी 89 कि०मी० प्रदर्शित हो रहा है। आपत्ति मान्य नहीं।		
					4. आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार, वाहन सं0-बी.आर. 30 पी.ए. -1639 परमिट सं0-बी.आर.2024-एस.सी.-2904ए. वैधता-15.12.2029 मार्ग सं0-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक रुन्नीसैदपुर प्र0-13.06, आपत्तिकर्ता रुन्नीसैदपुर प्र0-13.05 समय अंतराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि मध्य बिन्दु पर 03 मिनट के अंतराल का निदेश है एवं आवेदित समय सारणी मे मुजफ्फरपुर से मधवापुर की दूरी 89 कि०मी० प्रकाशित किया गया है, जबकि सॉफ्टवेयर मे मार्ग सं0-4860 डाउन की दूरी 65 कि०मी० है।	4. बी.आर. 30 पी.ए.-1639 टैक्स-12.03.2025 फिटनेश-26.09.2025 इन्श्युरेंस-26.05.2025 प्रदूषण-23.01.2026 वीएलटीडी-29.07.2025 एच0एस0आर0पी0- है। जुर्माना- नहीं।	द्वितीय खेप में रुन्नीसैदपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 1 मिनट, जबकि 3 मिनट आवश्यक है।		

६

६

७

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / नियंत्रण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	भार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अत्युक्ति	विवरण	निर्णय
7	श्री अंकित राज, पिता-श्री रमेश कुमार, पता-हरिदासपुर, कौंटी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-मुख्यमंत्री परि० योजना।	बी.आर. 06 पी.जी.-6121 30.03.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी. -6121 टैक्स-29.03.2025 फिटनेश-29.03.2026 इन्श्युरेंस-03.04.2025 प्रदूषण-29.03.2025 वीएलटीडी-05.04.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग सं०-0123(MMPPY) अरेराज से मुजफ्फरपुर। भाया-खजुरिया, साहेबगंज, मोतीपुर, कांटी। प्रतिदिन दो खेप आना जाना। अरेराज प्र०-07.11, 11.34, मुजफ्फरपुर प्र०- 09.26, 16.32	आपत्तिकर्ता श्री अवधेश कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ई. -8496 परमिट सं०-096/2009 मार्ग सं०-3632, कल्याणपुर से भगवानपुर चौक। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-09.26 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-09.29 समय अंतराल 03 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित वाहन मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अन्तर्गत क्रय किया गया है। जिसे प्रखंड में ही परिचालित करना है।	बी.आर. 06 पी.ई.-8496 टैक्स-17.04.2025 फिटनेश-22.01.2026 इन्श्युरेंस-17.01.2026 प्रदूषण-23.10.2025 वीएलटीडी-22.11.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉं। जुर्माना- नहीं।	मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 3 मिनट है, जो प्राधिकार द्वारा अनुमान्य है। परविहन विभाग पटना के पत्रांक-14344 दि०-11.12.2024 के आलोक में MMPPY अन्तर्गत वाहन का परिचालन अपने प्रखंड से होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक किया जा सकता है।		स्वीकृत।
8	श्री राम एकबाल राय, पिता-श्री सिंगेश्वर राय, पता-भतौलिया ब्रह्मपुर कर्मण, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-नितु राजा।	बी.आर. 56 पी. -1073 28.03.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 56 पी. -1073 टैक्स-03.04.2025 फिटनेश-02.08.2025 इन्श्युरेंस-02.08.2025 प्रदूषण-08.02.2025 वीएलटीडी-06.08.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3755 पुपरी से मुजफ्फरपुर। भाया- रायपुर, महुआगाछी, रून्नीसैदपुर, जनार, कोरलहिया, झपहा, द्रोणपुर, सहबाजपुर, न्यु जिरोमाईल, प्रतिदिन तीन खेप आना जाना। पुपरी प्र०-04.15, 11.13, 18.07 मुजफ्फरपुर प्र०-08.19, 14.38, 20.05	आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 30 पी.ए. -2425 परमिट सं०-बी.आर./106/एस०सी०/बस/2019/11, वैधता-08.12.2024 मार्ग संख्या-3754, पुपरी से मुजफ्फरपुर। आवेदक महुआगाछी प्र०-16.26 आपत्तिकर्ता महुआगाछी प्र०-16.24 समय अंतराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित समय-सारणी से मार्ग की दूरी 61 कि०मी० प्रकाशित किया गया है, जबकि सॉफ्टवेयर में पुपरी से मुजफ्फरपुर की दूरी 58 कि०मी० प्रदर्शित हो रहा है। आवेदित वाहन का रंग भी पीला है। पीला रंग का वाहन स्कूल में परिचालित होता है।	बी.आर. 30 पी.ए.-2425 टैक्स-31.01.2025 फिटनेश-16.11.2025 इन्श्युरेंस-13.05.2025 प्रदूषण-09.02.2025 वीएलटीडी-29.07.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉं। जुर्माना- नहीं।	आवेदन के साथ संलग्न नक्शा एवं सॉफ्टवेयर में आवेदित मार्ग की दूरी 58 कि०मी० है, जबकि 61 कि०मी० पर समय-सारणी प्रकाशित किया गया है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण।		अस्वीकृत।

8

*

2

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निवेदन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अस्तुवित	विवरण	निर्णय
9	श्री नन्दकिशोर साह, पिता-श्री राम कैलाश साह, पता-झीटकहियों, राजेपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम- नितु राजा।	बी.आर. 06 पी. एफ. -7202 -7202 30.06.2023 मॉडल 2023	बी.आर. 06 पी. एफ. -7202 टैक्स-28.03.2025 फिटनेश-29.06.2025 इन्श्युरेंस-29.06.2025 प्रदूषण-23.07.2025 वीएलटीडी-05.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्धु जिरोंमार्डल, सहवाजपुर, द्रोणपुर, झपहॉं, कोरलहिया जनार, रून्नीसैदपुर, गाछी, महुआ, रायपुर। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर-05.10, 11.19, 15.16, 19.02 पुपरी प्र0-09.23, 13.46, 16.58, 20.50	आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार वास्ते पियुष, वाहन सं0-बी.आर. 30 पी. -9768 परमिट सं0-036/2018, वैधता-26.10.2023 पटना से मधवापुर। आवेदक पुपरी प्र0-13.46 आपत्तिकर्ता पुपरी प्र0-13.45 समय अंतराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित वाहन परमिट से आवृत है। प्राधिकार के निदेशानुसार परमिट से आवृत वाहन का आवेदन करने से पहले परमिट प्रत्यार्पण करना आवश्यक है एवं मध्य बिंदु पर समय अंतराल 03 मिनट आवश्यक है।	बी.आर. 30 पी. -9768 टैक्स-22.02.2025 फिटनेश-08.03.2026 इन्श्युरेंस-27.01.2026 प्रदूषण-03.03.2025 वीएलटीडी-29.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	वाहन सं0-बी.आर. 06 पी. एफ.-7202 पर परमिट सं0-बी0आर0 2023 एस0सी0-3032ए0, मधुवन से दामोदरपुर पर निर्गत है, जिसे प्रत्यर्पित नहीं किया गया है साथ समय-सारणी त्रुटिपूर्ण।	सुनवाई के क्रम में समय-सारणी का मिलान किया गया। परमिट प्रत्यर्पण आवेदन कार्यालय में दिनांक 03.01.2025 को समाप्त है तथा मार्ग सं0-226 डाउन अधिसूचित है।	द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
10	श्रीमती रेणु शर्मा, पति-श्री अवधेश कुमार शर्मा, पता- कुआमा, पिपराही, जिला-शिवहर। बैनर का नाम- भॉं गायत्री परिवहन।	बी.आर. 55 -5771 -5771 08.07.2009 मॉडल 2009	बी.आर. 55 -5771 टैक्स- 24.03.2025 फिटनेश-14.11.2025 इन्श्युरेंस-11.09.2025 प्रदूषण-12.11.2025 वीएलटीडी-05.01.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2740 डाउन। भिठामोड़ से सीतामढ़ी। भाया-सुरसंड। प्रतिदिन एक खेप आना जाना। भिठामोड़ प्र0- 12.21, सीतामढ़ी प्र0-16.33,					स्वीकृत।

४

५

७

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निर्यात की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अशुद्धि	विवरण	निर्णय
11	श्री अरविंद कुमार, पिता-श्री रामप्रित राय, पता-महुआ सिंह राय, जिला-वैशाली। बैनर का नाम- शिव शक्ति।	बी.आर. 01 पी. आर. -3542 28.03.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 01 पी. आर. -3542 टैक्स-02.03.2025 फिटनेश-26.08.2026 इन्श्युरेंस-05.12.2025 प्रदूषण-22.03.2025 वीएलटीडी-05.09.2026	मार्ग संख्या-413 डाउन, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, भाया- महुआ, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। हाजीपुर प्र०- 05.30, 09.10, 14.02, 16.40, मुजफ्फरपुर प्र०-07.09, 12.30, 15.32, 18.24,	1. आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार राय, वाहन सं०-बी.आर. 30 पी. ए. -4210 परमिट सं०-बी०आर० 2021 एस०सी०-2081ए. मार्ग सं०-2603 पटोरी से मुजफ्फरपुर। आवेदक महुआ प्र०-06.15, आपत्तिकर्ता महुआ प्र०-06.18 समय अंतराल 03 मिनट।	1. बी.आर. 30 पी. ए. -4210 टैक्स-08.04.2025 फिटनेश-22.08.2026 इन्श्युरेंस-25.06.2025 प्रदूषण-30.09.2025 वीएलटीडी-29.10.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-65400/-	महुआ मध्य बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट है, जो प्राधिकार द्वारा अनुमान्य है।		आपत्तिकर्ता 1 पर लंबित जुर्माना-65400/- के अतिरिक्त रु० 10000/- अतिरिक्त जुर्माना ऋ अधिरोपित। स्वीकृत।
					2. आपत्तिकर्ता श्री अभिषेक कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी. जी. -4019 परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी०-2603ए. मार्ग सं०-413 मुजफ्फरपुर से हाजीपुर। आवेदक महुआ प्र०-09.45, आपत्तिकर्ता महुआ प्र०-09.48 समय अंतराल 03 मिनट। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-12.30, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-12.33 समय अंतराल 03 मिनट।	2. बी.आर. 06 पी. जी. -4019 टैक्स-27.02.2025 फिटनेश-02.09.2026 इन्श्युरेंस-01.09.2025 प्रदूषण-02.09.2025 वीएलटीडी-09.09.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	महुआ मध्य बिन्दु पर एवं मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट है, जो प्राधिकार द्वारा अनुमान्य है।		
					3. आपत्तिकर्ता श्री अभिषेक कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी. जी. -4021 परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी०-2975ए. मार्ग सं०-2603 पटोरी से मुजफ्फरपुर। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-07.09, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-07.13 समय अंतराल 04 मिनट।	3. बी.आर. 06 पी. जी. -4021 टैक्स-27.02.2025 फिटनेश-02.09.2026 इन्श्युरेंस-01.09.2025 प्रदूषण-02.09.2025 वीएलटीडी-30.11.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल 4 मिनट है, जबकि 3 मिनट आवश्यक है।		
					4. आपत्तिकर्ता श्री शिवदयाल राय, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी. बी. -5592 परमिट सं०-0232/2013, मिठापुर पटना से मुजफ्फरपुर, भाया-महुआ। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-15.32, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-15.35 समय अंतराल 03 मिनट।	4. बी.आर. 06 पी. बी. -5592 टैक्स-16.04.2025 फिटनेश-08.07.2025 इन्श्युरेंस-23.08.2025 प्रदूषण-24.08.2025 वीएलटीडी-26.05.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट है, जो प्राधिकार द्वारा अनुमान्य है।		

६

१

७

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अस्थुक्ति	विवरण	निर्णय
12	श्री रणवीर कुमार पिता-श्री शत्रुघ्न ठाकुर, पता-पधेल, सुस्ता, माधोपुर, कुडनी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- ओम साई राम।	बी.आर. 05 पी. ए.-8140 28.04.2018 मॉडल 2017	बी.आर. 05 पी. ए.-8140 टैक्स-18.01.2025 फिटनेश-29.07.2025 इन्श्युरेंस-20.11.2025 प्रदूषण-23.07.2025 वीएलटीडी-24.11.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-2500/-	मार्ग संख्या-2639 पटना से रामनगर। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौली घाट, फकुली रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर, बड़कागाँव, देवरिया, साहेबगंज, केसरिया, कोटवा, मोतिहारी, छपवा, बेतिया, चनपटिया, साठी, नरकटियागंज। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-09.50 रामनगर प्र०-21.45	आपत्तिकर्ता श्री उमेश कुमार सिंह का कहना है कि आवेदक द्वारा मार्ग सं० 2639, पटना से रामनगर के लिए समय-सारणी का प्रकाशन 270 कि०मी० पर कराया गया है, जबकि पटना से रामनगर की अधिसूचित दूरी 285 कि०मी० सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित हो रहा है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री सुमथ द्वारा सूचित किया गया कि वाहन संख्या बी०आर० 06 पी०डी०-0151, परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी०-2483ए० का पटना प्र०-09:48, जबकि आवेदित समय 09:50 है। समय अन्तराल 2 मिनट, जबकि 3 मिनट आवश्यक है।	बी०आर० 06 पी०डी०-0151 टैक्स-22.03.2025 फिटनेश-26.06.2025 इन्श्युरेंस-20.09.2025 प्रदूषण-19.09.2025 वीएलटीडी-20.03.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-2500/-	पटना प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 2 जबकि 3 मिनट आवश्यक है साथ ही समय-सारणी त्रुटिपूर्ण।		अस्वीकृत।
13	श्री अरविन्द सिंह, पिता-श्री अचल कुमार, पता-शंखपुर, अखरघाट, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- ओम साई राम।	बी.आर. 06 पी. सी.-3940 08.10.2014 मॉडल 2013	बी.आर. 06 पी. सी.-3940 टैक्स-28.03.2025 फिटनेश-03.07.2025 इन्श्युरेंस-05.05.2025 प्रदूषण-18.02.2025 वीएलटीडी-16.06.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग सं०-3812 पटना से मोतिहारी। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौली घाट, फकुली, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर, रोशन पानापुर, कांठी, महना, बाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपरा कोठी। प्रतिदिन एक खेप आना-जाना। पटना प्र०-03.10, मोतिपुर प्र०-16.00,					स्वीकृत।

३

४

७

एजेण्डा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
15	श्री मनोज कुमार यादव, पिता-स्व० चंद्रेश्वर राय, पता- बीबीगंज, भगवानपुर, सदर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर-नितु राजा।	बी.आर. 06 पी.डी.-9721 15.05.2017 मॉडल 2016	बी.आर. 06 पी.डी.-9721 टैक्स-14.02.2025 फिटनेश-11.06.2025 इन्श्युरेंस-14.09.2025 प्रदूषण-17.08.2025 वीएलटीडी-12.06.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3792 पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर बस स्टैण्ड, रोशन पानापुर, कांटी, महनाबाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पीपरा कोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-23.40 बेतिया प्र०-13.55	आपत्तिकर्ता श्रीमती जानकी शुक्ला, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.डी. -6006 परमिट सं०-077/2012 मार्ग- जहानाबाद से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-13.55 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-13.55 समय अंतराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी से मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की दूरी 77 कि०मी० दर्शाया गया है, जबकि उक्त दूरी 88 कि०मी० है। जिसका सत्यापन किया जा सकता है।	बी.आर. 06 पी.डी. -6006 टैक्स-20.02.2025 फिटनेश-18.08.2025 इन्श्युरेंस-18.07.2025 प्रदूषण-27.12.2025 वीएलटीडी-16.08.2025 एच०एस०आर०पी०- हों। जुर्माना-नहीं।	आवेदन वापस।		आवेदन वापस।
16	श्री विरेन्द्र कुमार पिता-श्री सीताराम कुमार, पता- गाँधीनगर, बगहा, जिला-प० चम्पारण। बैनर-लव कुश ट्रेभल्स प्रा० लि०	बी.आर. 06 पी.डी.-2541 09.01.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 06 पी.डी.-2541 टैक्स-21.03.2025 फिटनेश-11.03.2026 इन्श्युरेंस-07.01.2025 प्रदूषण-15.10.2025 वीएलटीडी-05.09.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3589 वाल्मिकीनगर से डुमवलिया। भाया-भेड़िहारी, नौरगिया, वाल्मिकीनगर रोड, बगहा स्टेशन। प्रतिदिन पाँच खेप जाना आना। वाल्मिकीनगर प्र०-02.08, 07.47, 11.18, 14.21, 17.48 डुमवलिया प्र०-03.55, 09.15, 12.42, 16.22, 19.41,			आवेदित वाहन का मार्ग सं०-3823 वाल्मिकीनगर से बेतिया पर परमिट सं०-0509/2023 निर्गत है। जिसे प्रत्यर्पित किये बिना आवेदन किया गया है।		अस्वीकृत।

8

*

2

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्माण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अशुद्धि	विवरण	निर्णय
17	श्री मनोज कुमार यादव, पिता-स्व० चंदेश्वर राय, पता- बीबीगंज, भगवानपुर, सदर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर-नितु राजा।	बी.आर. 06 पी.डी.-6521 15.05.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 06 पी.डी.-6521 टैक्स-14.02.2025 फिटनेश-13.08.2025 इन्श्युरेंस-14.09.2025 प्रदूषण-07.08.2025 वीएलटीडी-11.06.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3792 पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर बस स्टैण्ड, रोशन पानापुर, कांटी, महनाबाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पीपरा कोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-23.54 बेतिया प्र०-14.15	1. एजेडा प्रकाशन के उपरान्त आपत्तिकर्ता श्री अमन कुमार चारुते सुमन देवी, वाहन सं०-बी.आर. 31 पी.ए. -9896 परमिट सं०-बी०आर० 2021 एस०सी०-0126ए. मार्ग सं०-3790 बलुआ चौक से मुजफ्फरपुर। आवेदक मोतिहारी प्र०-15:38 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-17:51 समय अंतराल 2 घंटा 13 मिनट। 2. एजेडा प्रकाशन के उपरान्त आपत्तिकर्ता श्री सुरेश कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 31 पी.ए. -5751 परमिट सं०-बी०आर० 2023 एस०सी०-1381ए. मार्ग सं०-190, जहानाबाद से बेतिया। आवेदक मोतिहारी प्र०-15:38 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-17:51 समय अंतराल 2 घंटा 13 मिनट।	बी.आर. 31 पी.ए. -9896 टैक्स-13.03.2025 फिटनेश-01.04.2026 इन्श्युरेंस-05.03.2025 प्रदूषण-23.01.2026 वीएलटीडी-13.03.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं।	आपत्तिकर्ता द्वारा गलत आपत्ति दर्ज कराया गया है।		स्वीकृत।
18	श्रीमती प्रभा मिश्रा, पति-रंजीत कुमार मिश्रा, पता-वार्ड नं० 10 रसुलपुर जिलानी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-अमन ट्रेभल्स।	बी.आर. 06 पी. जी.-0039 14.08.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी. जी.-0039 टैक्स-08.02.2025 फिटनेश-13.08.2025 इन्श्युरेंस-08.08.2025 वीएलटीडी-09.08.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3802 मुजफ्फरपुर से पटना। भाया-रामदयालु नगर, फकुली, टोटहॉ, भगवानपुर कॉलेज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन दो खेप आना जाना। मुजफ्फरपुर प्र०-06.40, 13.55 पटना प्र०-08.53, 18.37					स्वीकृत।

३

४

५

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निरंकन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आयति	अपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
19	श्री श्याम सुन्दर ठाकुर, पिता-श्री राम कृपाल ठाकुर, प्रता- भिखा, बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- गिरजा ट्रेभल्स।	बी.आर. 06 पी.-4197 03.01.2008 मॉडल 2007	बी.आर. 06 पी.-4197 टैक्स-14.03.2025 फिटनेश-13.10.2025 इन्श्युरेंस-12.10.2025 प्रदूषण-13.02.2025 वीएलटीडी-20.02.2025 एच0एस0आर0पी0- नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2494, डाउन्, लालबंदी से सीतामढ़ी। भाया-मुजेलिया, नरंगा, परवाहा, जगदर, परसौना, कुम्मा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। लालबंदी प्र0-08.15 सीतामढ़ी प्र0-13.51					स्वीकृत।
20	श्री मनोज कुमार यादव, पिता-स्व0 चंदेश्वर राय, पता- बीबीगंज, भगवानपुर, सदर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर-नितु राजा।	बी.आर. 06 पी.बी.-6521 05.02.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 06 पी.बी.-6521 टैक्स-04.02.2025 फिटनेश-02.12.2026 इन्श्युरेंस-02.03.2025 प्रदूषण-29.07.2025 वीएलटीडी-31.08.2025 एच0एस0आर0पी0- नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3792 पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर बस स्टैण्ड, रौशन पानापुर, कांटी, महनाबाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपरा कोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र0-06.29, बेतिया प्र0-16.10,					स्वीकृत।

६

६

६

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निवहन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
21	श्री प्रभाकर पाण्डेय, पिता-श्री पंचानंद पाण्डेय, पता- डुमरिया वार्ड नं०-07, डुमरिया घाट, जिला-पुरी चम्पारण। बैनर का नाम- मौं वैष्णो।	बी.आर. 19 एफ.-1274 14.12.2012 मॉडल 2012	बी.आर. 19 एफ. -1274 टैक्स-11.02.2025 फिटनेश-22.12.2025 इन्शुरेंस-16.10.2025 प्रदूषण-30.07.2025 वीएलटीडी-04.10. 2025 एच0एस0आर0पी0 -हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2465 रक्सौल से सिवान, भाया-सुगौली, छपवा, मोतिहारी, खजुरिया, मोहम्मदपुर, गोपालगंज, मीरगंज। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-03:49 सिवान प्र०-11.57	आपत्तिकर्ता श्री विशाल आनन्द, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ई. -3927 परमिट सं०-बी.आर. 2023 एस.सी. -2947ए. मार्ग सं०-2465 डाउन, रक्सौल से सिवान। आवेदक मोतिहारी प्र०-15:49 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-15:52 समय अंतराल 03 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित वाहन डी0ए0पी0 स्कूल मोतिहारी में परिचालित होता है जिसका साक्ष्य के रूप में फोटो संलग्न हैं। आवेदक के नाम से पंजीकृत वाहन सं०- बी.आर. 05 पी.-3993 का फिटनेश एवं इन्शुरेंस फेल है इसके बावजूद वाहन का परिचालन केसरिया स्कूल में किया जाता है। इससे बच्चों के जान का खतरा है। अतः अनुरोध है कि इस दिशा में उचित कार्रवाई की जाए।	1. बी.आर. 06 पी.ई. -3927 टैक्स-30.01.2025 फिटनेश-12.08.2025 इन्शुरेंस-02.08.2025 प्रदूषण-04.03.2025 वीएलटीडी-06.08.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 05 पी.-3993 टैक्स-18.02.2025 फिटनेश-29.05.2024 इन्शुरेंस-03.01.2024 प्रदूषण-29.03.2025 वीएलटीडी-03.04.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित दूरी एवं आवेदित दूरी में भिन्नता है। साथ ही कुल दूरी पर गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है।		अस्वीकृत।

३

४

५

एन.आ. क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्देशन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अस्थुक्ति	विवरण	निर्णय
22	श्री अंगेश चौधरी, पिता-श्री रामनिहोरा चौधरी, पता-वार्ड नं०-08, मकसुदपुर, एस0डी0ओ0 रोड हाजीपुर, जिला-वैशाली। बैनर का नाम- अम्बे ट्रेभल्स।	बी.आर. 01 पी.आर.-2146 24.07.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 01 पी.आर.-2146 टैक्स-17.04.2025 फिटनेश-23.07.2026 इन्श्युरेंस-17.07.2025 प्रदूषण-23.07.2025 वीएलटीडी-14.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4827 बैरगनिया से पटना। भाया-डेंग, रिंगा, जानकी स्थान, सीतामढ़ी, डुमरा, प्रेमनगर, रून्नीसैदपुर, खनुआघाट, टेंगराही, पिपरा, बैरिया मुज०, रामदयालुनगर, फकुली, जतकौलीघाट, लालगंज, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। बैरगनिया प्र०-03.40 पटना प्र०-08.48	1. आपत्तिकर्ता श्री गांधी प्रसाद सिंह वास्ते अमर ज्योति ट्रेवल्स, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.एफ. -6851 परमिट सं०-बी.आर. 2023 एस.सी. -1653ए. मार्ग सं०-4821 डाउन, सीतामढ़ी से पटना। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-05.02, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-05.05 समय अंतराल 03 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि सीतामढ़ी आवेदक का मध्य बिन्दु है, जबकि मेरे वाहन सं० बी.आर. 06 पी.एफ. -6851 का मुख्य बिन्दु है, जहाँ 7 मिनट का समय अन्तराल होना चाहिए। 2. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार वास्ते नवल किशोर राय, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ई. -5261, परमिट सं०-बी.आर. 2020 एस.सी. -0254ए. आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित समय-सारणी में पिपरा से बैरिया मुज० की दूरी 12 कि०मी० 09 मिनट में एवं पटना से वापसी में फकुली से रामदयालुनगर की दूरी 13 कि०मी० 09 मिनट में तय किया जा रहा है, जिसमें अधिकतम गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। 3. आपत्तिकर्ता श्री अमरत्या कुमार वास्ते दुष्यन्त कुमार सिंह, वाहन सं०-जे.एच. 04 डी. -4271, परमिट सं०-273/2014 मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-10.44, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-10.44 समय अंतराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित समय-सारणी में सीतामढ़ी आवेदक का मध्य बिन्दु है, जबकि मेरे वाहन सं० बी.आर. 06 पी.एफ.-1653 का सीतामढ़ी मुख्य बिन्दु है। प्राधिकार के निदेशानुसार 7 मिनट का समय अन्तराल होना चाहिए। 4. आपत्तिकर्ता श्री सौरभ सिंह, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.एफ.-1392 परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी०-2391ए. मार्ग सं०-2471, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-05.02, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-05.07 समय अंतराल 05 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि सीतामढ़ी वाहन सं० बी.आर. 06 पी.एफ.-1392, का मुख्य बिन्दु है। प्राधिकार के निर्णयानुसार मुख्य बिन्दु पर समय अंतराल 07 मिनट आवश्यक है।	1. बी.आर. 06 पी.एफ. -6851 टैक्स-10.04.2025 फिटनेश-04.04.2025 इन्श्युरेंस-14.03.2025 प्रदूषण-11.04.2025 वीएलटीडी-02.04.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 06 पी.ई. -5261 टैक्स-09.04.2025 फिटनेश-17.09.2026 इन्श्युरेंस-16.09.2025 प्रदूषण-16.09.2025 वीएलटीडी-14.10.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं। 3. जे.एच. 04 डी. -4271 टैक्स-23.04.2025 फिटनेश-15.01.2026 इन्श्युरेंस-09.01.2026 प्रदूषण-07.12.2025 वीएलटीडी-27.11.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं। 4. बी.आर. 06 पी.एफ.-1392 टैक्स-29.03.2025 फिटनेश-20.04.2025 इन्श्युरेंस-31.03.2025 प्रदूषण-08.08.2025 वीएलटीडी-23.03.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक है। सीतामढ़ी आपत्तिकर्ता का मुख्य बिन्दु है इसलिए समय अन्तराल 7 मिनट आवश्यक है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण। मुजफ्फरपुर बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य, जबकि 3 मिनट आवश्यक है।		आपत्ति 1, 2 एवं 3 के आलोक में अस्वीकृत।

६

१

२

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / दिक्कत की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अस्वीकृति	विवरण	निर्णय
23	श्रीमती मोनी कुमारी, पति-श्री अश्वनी कुमार, पता- मकसदपुरा, हाजीपुर, जिला-वैशाली। बैनर का नाम- अस्वे ट्रेडर्स।	बी.आर. 01 पी.आर.-2147 24.07.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 01 पी.आर.-2147 टैक्स-17.04.2025 फिटनेश-23.07.2026 इन्श्युरेंस-1707.2025 प्रदूषण-23.07.2025 वीएलटीडी-21.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3802 मुजफ्फरपुर से पटना। भाया-रामदयालु नगर, फकुली, टोटहां, भगवानपुर कॉलेज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन दो खेप आना जाना। मुजफ्फरपुर प्र0-06.39, 13.16 पटना प्र0-08.51, 16.38	आपत्तिकर्ता श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह, वाहन सं0-बी.आर. 32 पी.ए. -6157 परमिट सं0-बी.आर. 2023 एस.सी. -0919ए. मार्ग सं0-3803, मुजफ्फरपुर से गीटापुर बस स्टैण्ड पटना। आवेदक पटना प्र0-16.38 आपत्तिकर्ता पटना प्र0-16.38 समय अंतराल शून्य।	बी.आर. 32 पी.ए. -6157 टैक्स-15.03.2025 फिटनेश-04.08.2026 इन्श्युरेंस-21.07.2025 प्रदूषण-0808.2025 वीएलटीडी-14.03.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	पटना प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य, जबकि 3 मिनट आवश्यक है।		द्वितीय खेप कटाय होने के कारण आवेदक के अनुरोध पर अस्वीकृत।
24	श्री राम जीवन लाठ, पिता-हारिका प्रसाद लाठ, पता-सुरसंड, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- लाठ ट्रांसपोर्ट।	बी.आर. 30 पी.-5181 01.09.2008 मॉडल 2008	बी.आर. 30 पी.-5181 टैक्स-15.02.2025 फिटनेश-04.12.2025 इन्श्युरेंस-19.01.2025 प्रदूषण-12.07.2025 वीएलटीडी-14.12.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2740 डाउन। भिठामोड़ से सीतामढ़ी। भाया-सुरसंड। प्रतिदिन एक खेप आना जाना। भिठामोड़ प्र0-09.17 सीतामढ़ी प्र0-13.05			आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जिसका उल्लेख शपथ-पत्र में नहीं किया गया है साथ ही परमिट प्रत्यर्पन किये बिना आवेदन किया गया है।		अस्वीकृत।
25	श्री जय शंकर कुमार, पिता-श्री राम बृक्ष राय, पता- बीबीगंज नंदपुरी, भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- नितु राजा।	बी.आर. 06 पी.बी.-8121 01.12.2012 मॉडल 2012	बी.आर. 06 पी.बी.-8121 टैक्स-28.02.2025 फिटनेश-18.06.2025 इन्श्युरेंस-13.06.2025 प्रदूषण-19.09.2025 वीएलटीडी-15.01.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3792 पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर बस स्टैण्ड, रौशनपानापुर, कॉटी, महना बाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपरा कोठी मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप आना जाना। पटना प्र0-21.51 बेतिया प्र0-09.32					स्वीकृत।

६

१

७

एअेंडा क्र०	वाहन स्यामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अत्युक्ति	विवरण	निर्णय	
26	श्री साकेत कुमार, पिता-श्री शम्भु कुमार सिंह, पता-वार्ड नं०-02, मधुवन भी०टी०सी०, खादरपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-जय बाबा वर्फानी।	बी.आर. 05 पी.बी.-7796 23.01.2024 मॉडल 2023	बी.आर. 05 पी.बी.-7796 टैक्स-22.04.2025 फिटनेश-22.01.2026 इन्श्युरेंस-22.01.2026 प्रदूषण-22.01.2026 वीएलटीडी-26.01.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-291 (MMPPY) कृष्णा नगर से मोतिहारी बस स्टेण्ड। भाया-मधुवन, भेलवा, दुलमा, पकड़ीदयाल। प्रतिदिन आठ खेप जाना आना। कृष्णा नगर प्र०-03.15, 05.25, 07.35, 09.40, 11.55, 14.10, 16.50, 19.00, मोतिहारी बस स्टेण्ड प्र०-04.20, 06.30, 08.45, 10.45, 13.07, 15.23, 17.55, 20.20,					आवेदक द्वारा MMPPY मार्ग पर आवेदन दिया किया गया है, जबकि आवेदित वाहन जय बाबा वर्फानी बैनर अन्तर्गत परिचालित है।	बैनर हटाने की शर्त पर स्वीकृत
27	श्री शिव चंद्र सिंह, पिता-श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह, पता- कृष्णापुरी, भगवानपुर चोक, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-जय बाबा वर्फानी।	बी.आर. 06 पी.एफ.-8596 21.01.2023 मॉडल 2022	बी.आर. 06 पी.एफ.-8596 टैक्स-20.04.2025 फिटनेश-19.01.2027 इन्श्युरेंस-17.11.2025 प्रदूषण-18.01.2026 वीएलटीडी-17.01.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2415, शिवहर से मोतिहारी। भाया-लालगढ़, मधुवन, पकड़ीदयाल, प्रतिदिन छः खेप जाना आना। शिवहर प्र०-04.50, 07.15, 09.50, 12.05, 14.40, 17.15 मोतिहारी प्र०-06.05, 08.30, 10.55, 13.25, 15.55, 18.40					स्वीकृत।	

६

★

७

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
28	श्री. राजीव कुमार सिंह, पिता-श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह, पता-कृष्णा कॉम्प्लेक्स, वार्ड नं०-09, बारा चकिया, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम- जय बाबा वर्फानी।	बी.आर. 06 पी.जी.-9196 19.12.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.-9196 टैक्स-17.03.2025 फिटनेश-18.12.2025 इन्श्युरेंस-06.12.2025 प्रदूषण-18.12.2025 वीएलटीडी-15.01.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2415 डाउन मोतिहारी से शिवहर। भाया-पकड़ीदयाल, मधुवन, लालगढ़, प्रतिदिन छ: खेप जाना आना। मोतिहारी प्र०-05.05, 07.32, 09.57, 12.25, 14.56, 17.45 शिवहर प्र०-06.20, 08.45, 11.15, 13.35, 16.30, 18.55					स्वीकृत।
29	श्री रवि शंकर राय, पिता-स्व० जय लाल राय, पता-एच0नं०-117, विशुनपुर, शुभाई, एन0आर0 हनुमान मंदिर, जिला-बैशाली। बैनर का नाम-N/A	बी.आर. 31 पी.-0686 16.10.2009 मॉडल 2009	बी.आर. 31 पी.-0686 टैक्स-18.03.2025 फिटनेश-13.12.2025 इन्श्युरेंस-27.08.2025 प्रदूषण-27.06.2025 वीएलटीडी-03.01.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4740 मुसापुर बंचर से हाजीपुर। भाया-महिपुरा, जन्दाहा, गाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप आना जाना। मुसापुर बंचर प्र०-07.10 हाजीपुर प्र०-13.10			समय-सारणी में दो पड़ाव के बीच दूरी अंकित नहीं है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण।		सुनवाई के क्रम में वाहन स्वामी द्वारा मूल संचिका में समर्पित समय-सारणी से मिलान करने के उपरान्त स्वीकृत।

६

४

७

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अन्वयित	विवरण	निर्णय
30	श्री हरि नारायाण सिंह, पिता-रव0 राम बहादुर सिंह, पता-शेखपुर, अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-अम्बिका ट्रेवल्स।	बी.आर. 06 पी.वी.-9136 09.04.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 06 पी.वी.-9136 टैक्स-27.02.2025 फिटनेस-24.08.2025 इन्श्युरेंस-25.08.2025 प्रदूषण-09.08.2025 वीएलटीडी-22.08.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4786 सुगिया से मुजफ्फरपुर। भाया-शिवहर, तरियानी, मीनापुर, प्रतिदिन तीन खेप आना जाना। सुगिया प्र0-05.53, 11.27, 15.01 मुजफ्फरपुर प्र0-08.29, 13.44, 18.34					स्वीकृत।
31	श्री रवि शंकर राय, पिता-जय लाल राय, सिधा वार्ड नं0-04, नियर सुभई, जिला-वेशाली। बैनर का नाम-N/A	बी.आर. 01 पी.ई.-5326 23.10.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 01 पी.ई.-5326 टैक्स-22.01.2025 फिटनेस-10.09.2025 इन्श्युरेंस-25.06.2025 प्रदूषण-19.07.2025 वीएलटीडी-30.12.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4889 महिसौर से पटना। भाया-जन्दाहा, गाजीपुर, हाजीपुर, जहुआ, अगम कुंआ। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। महिसौर प्र0-07.30, पटना प्र0-15.20,			समय-सारणी में दो पड़ाव के बीच दूरी अंकित नहीं है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण।		सुनवाई के क्रम में वाहन स्वामी द्वारा मूल संचिका में समर्पित समय-सारणी से मिलान के उपरान्त स्वीकृत।

8

7

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
32	श्री सज्जन कुमार लाठ, पिता- श्री तोलाराम लाठ, ग्राम-सुरसण्ड, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- लाठ ट्रांसपोर्ट।	बी.आर.-30 पी.ए.-5140 16.09.2024 मॉडल 2024	बी.आर.-30 पी.ए.-5140 टैक्स-13.03.2025 फिटनेश-15.09.2026 इन्श्युरेंस-15.09.2025 प्रदूषण-15.09.2025 वीएलटीडी-10.10.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2740 डाउन। भिठामोड़ से सीतामढ़ी। भाया-सुरसंड। प्रतिदिन सात खेप आना जाना। भिठामोड़ प्र0-05.00, 07.30, 09.53, 13.58, 15.51, 18.25, 21.47, सीतामढ़ी प्र0-05.59, 08.46, 12.50, 14.50, 16.59, 20.54, 22.38,	1. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार वारते शैलेन्द्र कुमार सिंह, वाहन सं0-बी.आर. 30 पी. -3684, परमिट सं0-0148/2014 मार्ग सं0-2740, सीतामढ़ी से भिठामोर। आवेदक भिठामोर प्र0-09.53 आपत्तिकर्ता भिठामोर प्र0-09.51 समय अंतराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित समय-सारणी मे 02 मिनट का अंतराल प्रकाशित किया गया है, जबकि प्राधिकार के निदेशानुसार 05 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।	1. बी.आर. 30 पी. -3684 टैक्स-19.03.2025 फिटनेश-05.06.2025 इन्श्युरेंस-27.04.2025 प्रदूषण-12.07.2025 वीएलटीडी-23.10.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	भिठामोर प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 2 मिनट, जबकि 5 मिनट आवश्यक है।		तृतीय एवं चतुर्थ खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
					2. आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार झा, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी.बी. -9887 परमिट सं0-008/2014 मार्ग सं0-2740 डाउन, भिठामोर से सीतामढ़ी। आवेदक भिठामोर प्र0-13.58 आपत्तिकर्ता भिठामोर प्र0-14.03 समय अंतराल 05 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित समय-सारणी मे 05 मिनट का अंतराल प्रकाशित किया गया है, जबकि प्राधिकार के निदेशानुसार 07 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।	2. बी.आर. 06 पी.बी. -9887 टैक्स-29.01.2025 फिटनेश-16.12.2025 इन्श्युरेंस-22.02.2025 प्रदूषण-10.07.2025 वीएलटीडी-15.01.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	भिठामोर प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 5 मिनट, जबकि 7 मिनट आवश्यक है।		
33	श्री मनोज कुमार सिंह, पिता- श्री विरेन्द्र सिंह, पता-डीह पकड़ी, पकड़ीदयाल, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-N/A	बी.आर. 06 पी.ई.-7052 10.02.2009 मॉडल 2008	बी.आर. 06 पी.ई.-7052 टैक्स-09.02.2025 फिटनेश-27.12.2025 इन्श्युरेंस-19.12.2025 प्रदूषण-31.05.2025 वीएलटीडी-15.05.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2344 बेलसंड से सीतामढ़ी। भाया-परसौनी। प्रतिदिन दो खेप आना आना। बेलसंड प्र0-08.55, 11.15 सीतामढ़ी प्र0-10.15, 15.55	आपत्तिकर्ता श्री शशि रंजन कुमार का कहना है कि आवेदक के नाम से निबधित अन्य वाहन सं0- बी.आर. 30 पी.ए.-4397 पर जुर्माना लंबित है, जो ऑनलाईन देखा जा सकता है। आपत्तिकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र सिंह का कहना है कि आवेदक के नाम से निबधित अन्य वाहन सं0- बी.आर. 30 पी.ए.-9397 पर जुर्माना लंबित है एवं वाहन सं0-बी.आर. 30 पी.-3501 का फिटनेश इन्श्युरेंस फेल है, जबकि उक्त वाहन परमिट से आवृत्त है।		आवेदक के अन्य वाहन सं0-बी.आर. 30 पी.ए.-4397 पर रु0 1197564/- जुर्माना लंबित। बी.आर. 30 पी.-3501 फिटनेश-25.12.2024 इन्श्युरेंस-13.12.2024	आवेदन वापस।	सुनवाई के क्रम में आवेदक के अन्य वाहन सं0-बी.आर. 30 पी.ए.-4397 रु0 1197564/- जुर्माना लंबित रहने के कारण रु0 10000/- अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित करते हुए अस्वीकृत।

8

9

10

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निकलन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अशुभित	विवरण	निर्णय
34	श्री धीरेन्द्र कुमार, पिता-राज संगल सिंह, पता-चंदौली, बेलसंड, नियर मंदिर, जिला-सीतामढ़ी।। बैनर का नाम-श्री हरि।	बी.आर-06- पी.-8108 23.05.2009 मॉडल 2009	बी.आर.-06-पी.-8108- टैक्स-22.02.2025 फिटनेस-04.03.2025 इच्युरेंस-01.12.2025 प्रदूषण-27.06.2025 वीएलटीडी-23.02. 2025 एच0एस0आर0पी0- नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2344 बेलसंड से सीतामढ़ी। भाया-परसौनी। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। बेलसंड प्र0-07.08, 12.39 सीतामढ़ी प्र0-12.03, 14.10					स्वीकृत।

✍

✍

✍

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निचबन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
35	श्री. शशि. कांत शाह, पिता—श्री. घुसन शाह, पता—चडरहिया, अरेराज, जिला—पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम—सौरव।	बी.आर-01-पी0 सी0-4943 —4943 26.05.2011 मॉडल 2011	बी.आर-01-पी0 सी0-4943 टैक्स-25.02.2025 फिटनेश-26.07.2025 इन्श्युरेंस-24.04.2025 प्रदूषण-22.04.2025 वीएलटीडी-23.07.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग-संख्या-3792-पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर, रौशन पानापुर, कोंटी, महना बाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपरा कोठी मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र0-07.58, बेतिया प्र0-16.07,	1. आपत्तिकर्ता श्री. नीरज कुमार वारते अमर देवेन्द्र राय, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी.डी. -9861 परमिट सं0-बी.आर. 2024 एस.सी. -1394ए. मार्ग सं0-1821 डाउन, सीतामढ़ी से पटना। आवेदक पटना प्र0-07.58 आपत्तिकर्ता पटना प्र0-07.57 समय अंतराल 01 मिनट।	1. बी.आर. 06 पी.डी. -9861 टैक्स-14.03.2025 फिटनेश-18.09.2026 इन्श्युरेंस-18.09.2025 प्रदूषण-26.01.2026 वीएलटीडी-22.01.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदन वापस।		आवेदन वापस।
					2. आपत्तिकर्ता श्री. जितेश कुमार, का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में छपवा से बेतिया 46 कि०मी०/40 मिनट में एवं छपवा से मोतिहारी 46 कि०मी०/40 मिनट में तय कर रहा है, जिसमें गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। सॉफ्टवेयर में मार्ग सं० की अधिसूचित दूरी 195 कि०मी० है, जबकि समय-सारणी में पटना से बेतिया 237 कि०मी० एवं बेतिया से पटना 242.50 कि०मी० दर्शाया है, जो त्रुटिपूर्ण है।				
					3. आपत्तिकर्ता श्री. मनोज कुमार यादव, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.बी. -6521 मार्ग सं०-3792, पटना से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-16.07 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-16.10 समय अंतराल 03 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित समय सारणी में 03 मिनट का अंतराल प्रकाशित किया गया है, जबकि प्राधिकार के निर्देशानुसार 07 मिनट का समय निर्धारित किया गया है एवं वाहन सं० बी.आर. 06 पी.बी. -6521 ज्ञापांक 20 एवं वाहन सं० बी.आर. 01 पी.सी. -4943, ज्ञापांक-35 पर अंकित है।	3. बी.आर. 06 पी.बी. -6521 टैक्स-04.02.2025 फिटनेश-02.12.2025 इन्श्युरेंस-02.03.2025 प्रदूषण-29.07.2025 वीएलटीडी-31.08.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।			

६

५

७

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निकटन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
36	श्रीमती सुनीता सिन्हा, पति-श्री अनिल सिन्हा, पता-कन्ता सुस्ता टोक कन्टा धिरोछा, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-द लाईन बॉडीगाड।	बी.आर.06-पी.ई.-4249 06.09.2019 मॉडल 2019	बी.आर.06-पी.ई.-4249 टैक्स-27.02.2025 फिटनेश-12.09.2025 इन्श्युरेंस-06.09.2025 प्रदूषण-08.09.2025 वीएलटीडी-28.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2471 सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। भाया-बोहा, गाढ़ा, सैदपुर, झपहां, द्रोणपुर, सहवाजपुर, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। सीतामढ़ी प्र०- 03.01, 07.19, 13.16, 18.03 मुजफ्फरपुर प्र०- 04.36, 09.11, 14.32, 19.22	1. आपत्तिकर्ता श्री गांधी प्रसाद सिंह वास्ते अमर ज्योति ट्रैवल्स, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.एफ. -6651 परमिट सं०-151/2019 मार्ग सं०-2777, सोनवर्षा से पटना। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-07.19 आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-07.21 समय अंतराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निदेशानुसार 3 मिनट का समय अन्तराल होना चाहिए। 2. आपत्तिकर्ता श्री सन्नी पटेल का कहना है कि वाहन सं० बी.आर 06 पी.ई. -4249 परमिट से आवृत है। प्राधिकार के निदेशानुसार परमिट हेतु आवेदन करने से पहले पूर्व का परमिट प्रत्यापण करना आवश्यक है।	बी.आर. 06 पी.एफ. -6651 टैक्स-10.04.2025 फिटनेश-04.04.2025 इन्श्युरेंस-14.03.2025 प्रदूषण-11.04.2025 वीएलटीडी-02.04.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	सीतामढ़ी में समय अन्तराल 2 मिनट, जबकि 3 मिनट आवश्यक है।	मोटरयान निरीक्षक जॉब प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में संलग्न नहीं है।	₹0 10000/- जुर्माना के साथ MVI रिपोर्ट समर्पित करने की शर्त पर द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।

३

४

५

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
37	श्री अनिल कुमार चौधरी, पिता-श्री बन्नी चौधरी, पता- वार्ड नं०-09, हरपुरवा, बगही, जिला-प० चम्पारण। बेनर का नाम- अनिल ट्रेमल्स।	बी.आर. 22 पी.ए.-6240 21.11.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 22 पी.ए.-6240 टैक्स-14.02.2025 फिटनेश-20.11.2026 इन्श्युरेंस-18.11.2025 प्रदूषण-20.11.2025 वीएलटीडी-13.02.2027 एच०एस०आर०पी०-हॉ जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-1723 (MMPPY) नवलपुर से बेतिया। भाया- नवलपुर बाजार, त्रीवेणी चौक, जोगापट्टी, चमैनिया, मनुआपूल, छवनी, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। नवलपुर प्र०- 05.15, 08.35, 11.55, 15.23, बेतिया प्र०- 07.13, 10.33, 13.53, 17.13	1. आपत्तिकर्ता श्री बकील शर्मा, वाहन सं०-बी.आर. 22 पी.-1849 परमिट सं०-बी०आर० 2023 एस०सी०-3323 मार्ग सं०-4741 नवलपुर से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-07.13, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-07.10 समय अंतराल 03 मिनट। आवेदक बेतिया प्र०-10.33, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-10.31 समय अंतराल 02 मिनट। आवेदक बेतिया प्र०-13.53, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-13.51 समय अंतराल 02 मिनट। आवेदक बेतिया प्र०-17.13, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-17.10 समय अंतराल 03 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता श्री मनोज शर्मा, वाहन सं०-बी.आर. 08 पी.ई.-4946 परमिट सं०-बी०आर० 2023 एस०सी०-3321ए. मार्ग सं०-2810, सेराबाजार से बेतिया। आवेदक नवलपुर प्र०-05.15, आपत्तिकर्ता नवलपुर प्र०-05.20 समय अंतराल 05 मिनट। आवेदक नवलपुर प्र०-08.35, आपत्तिकर्ता नवलपुर प्र०-08.40 समय अंतराल 05 मिनट। आवेदक नवलपुर प्र०-11.55, आपत्तिकर्ता नवलपुर प्र०-12.00 समय अंतराल 05 मिनट। आवेदक नवलपुर प्र०-15.23, आपत्तिकर्ता नवलपुर प्र०-15.19 समय अंतराल 04 मिनट।	1. बी.आर. 22 पी.-1849 टैक्स-03.02.2025 फिटनेश-07.02.2026 इन्श्युरेंस-23.01.2026 प्रदूषण-10.07.2025 वीएलटीडी-11.01.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉ जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 08 पी.ई.-4946 टैक्स-23.03.2025 फिटनेश-11.10.2025 इन्श्युरेंस-23.09.2025 प्रदूषण-03.11.2025 वीएलटीडी-21.07.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉ जुर्माना-नहीं।	द्वितीय एवं तृतीय खेप में समय अंतराल 3 से कम है। सभी खेप में समय अंतराल 3 मिनट से अधिक है।		विभागीय निदेश के आलोक में MMPPY योजना अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु स्वीकृत। अस्वीकृत।
38	श्री केदार प्रसाद राय, पिता-श्री सोने राय, पता-रामचंद्रपुर, दसहरा, परगना, बालागाछ, पटोरी, जिला-समस्तीपुर। बेनर का नाम- शुभम।	बी.आर. 06 पी.ए.-6577 07.06.2011 मॉडल 2011	बी.आर. 06 पी.ए.-6577 टैक्स-06.03.2025 फिटनेश-21.12.2025 इन्श्युरेंस-03.09.2025 प्रदूषण-07.11.2025 वीएलटीडी-14.01.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3724 मोहदीनगर से हाजीपुर। भाया-महनार। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मोहदीनगर प्र०-03.35, 08.50, 15.20 हाजीपुर प्र०-07.25, 13.25, 18.23	आपत्तिकर्ता श्री कुमार बागीश का कहना है कि वाहन संख्या बी०आर० 06 पी०ए०-6577 द्वारा मार्ग सं०-3724 मोहदीनगर से हाजीपुर समय-सारणी किया गया है प्रथम खेप में वाहन मोहदीनगर से महनार 18 कि०मी० दिखाया गया है, जो 55 मिनट में तय करता है, जबकि 54 मिनट लगना चाहिए। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है।		न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है।		अस्वीकृत।

४ ✖ ✓

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
39	श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता-श्री राम प्रसाद राय, पता-पुनरवारा, चक शम्भु, महिन्दवारा, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-भुषण रथ।	बी.आर.-19 एच.-4734 02.06.2016 मॉडल-2016	बी.आर.-19 एच.-4734 टैक्स-01.03.2025 फिटनेश-05.01.2026 इन्श्युरेंस-02.01.2026 प्रदूषण-07.01.2026 वीएलटीडी-05.01.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3896 महुआवा से मुजफ्फरपुर। भाया-शिवहर, परसौनी, बेलसन्ड, रून्हीसैदपुर, जनार, कोवाही, न्यू जीरोमाईल। प्रतिदिन तीन खेप आना जाना। महुआवा प्र०- 05.05, 11.21, 14.54 मुजफ्फरपुर प्र०- 08.47, 13.04, 17.43					स्वीकृत।
40	श्री कामेश्वर मिश्रा, पिता-श्री गुल्ली मिश्रा, पता-ईजारा, संग्रामपुर, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-N/A	बी0आर0 05 पी.ए.-2014 23.08.2014 मॉडल-2014	बी0आर0 05 पी.ए.-2014 टैक्स-19.05.2025 फिटनेश-25.11.2025 इन्श्युरेंस-24.11.2025 प्रदूषण-06.01.2026 वीएलटीडी-24.11.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2529 भावापुर से रक्सौल। भाया-सिकन्दरपुर, जलहा, संग्रामपुर, गोविन्दगंज, अरराज, हरसिद्धि, छपवा, सुगौली, रमगढ़वा। प्रतिदिन दो खेप आना जाना। भावापुर प्र०-10.17, 17.15 रक्सौल प्र०-14.28, 05.45	आपत्तिकर्ता श्री अवधेश कुमार तिवारी, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ए. -3241 परमिट सं०-बी0आर0 2024 एस0सी0-2134ए. मार्ग सं०-2529 डाउन, रक्सौल से भावापुर। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में प्रथम खेप में भावापुर से 10.17 बजे प्रस्थान कर संध्या 17:06 बजे भावापुर आगमन एवं द्वितीय खेप में भावापुर से 17:15 बजे प्रस्थान कर 20:00 बजे रक्सौल आगमन तत्पश्चात रक्सौल से सुबह 05:45 बजे प्रस्थान कर 08:43 बजे भावापुर आगमन हो रहा है। इस तरह 20:00 बजे रक्सौल पहुँच कर दुसरे दिन सुबह 05:45 बजे रक्सौल से प्रस्थान करना नियम के विरुद्ध है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण।	बी.आर. 06 पी.ए. -3241 टैक्स-05.02.2025 फिटनेश-28.09.2025 इन्श्युरेंस-05.10.2025 प्रदूषण-30.07.2025 वीएलटीडी-20.09.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-2500/-	गोविन्दगंज से अरराज 5 कि०मी० की दूरी 20 मिनट में तय किया जा रहा है। न्यूनमत गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। गति 15 कि०मी० प्रतिघंटा।		आपत्तिकर्ता पर लंबित रू० 2500/- जुर्माना के अतिरिक्त रू० 10000/- जुर्माना अधिरोपित अस्वीकृत।
41	श्रीमती हेमा देवी, पति-हरि शंकर झा, पता-वार्ड नं०-09, बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-जय माता दी।	बी0आर0 06 पी.एफ.-8568 15.09.2023 मॉडल-2023	बी0आर0 06 पी.एफ.-8568 टैक्स-12.03.2025 फिटनेश-14.09.2025 इन्श्युरेंस-13.09.2025 प्रदूषण-14.09.2025 वीएलटीडी-14.09.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2344 बेलसंड से सीतामढ़ी। भाया-परसौनी। प्रतिदिन आठ खेप आना जाना। बेलसंड प्र०-08.08, 09.23, 10.21, 11.50, 14.12, 15.35, 16.33, 17.45 सीतामढ़ी प्र०-08.33, 09.56, 11.15, 13.05, 14.38, 16.08, 17.17, 18.18,	आपत्तिकर्ता श्री धीरेन्द्र कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 24 पी. -5912 परमिट सं०-बी0आर0 2023 एस0सी0-2927ए. मार्ग सं०-2344 बेलसंड से सीतामढ़ी। आवेदक परसौनी प्र०-08.17 आपत्तिकर्ता परसौनी प्र०-08.18 समय अंतराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदिका के नाम से वाहन सं० बी.आर. 55 -3625 निबंधित है, जिसका फिटनेश, प्रदूषण, इनसुरेंस सभी मान्य कागजात फेल है, जबकि वाहन का परिवालन हो रहा है। द्वितीय खेप में बेलसंड से परसौनी की दूरी 8 कि०मी०/15 मिनट में तय किया जा रहा है परन्तु प्रकाशित समय-सारणी में 15 मिनट के जगह 8 मिनट दर्शाया गया है।	बी.आर. 24 पी. -5912 टैक्स-04.04.2025 फिटनेश-18.03.2025 इन्श्युरेंस-22.02.2025 प्रदूषण-07.10.2025 वीएलटीडी-07.10.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	समय-सारणी त्रुटिपूर्ण।		अस्वीकृत।

8

8

8

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अशुभित	विवरण	निर्णय
42	श्री अंकित कश्यप, पिता—श्री संतोष कुमार राय, पता—लालकोठी बिलासपुर, हरिनगर, रामनगर, जिला—पं० चम्पारण। बैनर का नाम— आनंद।	बी० आर० 22 पी०ए०—7525 26.10.2024 मॉडल—2024	बी० आर० 22 पी०ए०—7525 टैक्स—20.04.2025 फिटनेस—25.10.2026 इन्श्युरेंस—20.10.2025 प्रदूषण—25.10.2025 वीएलटीडी—17.11.2026 एच०एस०आर०पी०— हॉ। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—2670 रायबारी महुआ से मोतिहारी। भाया—मलुआडीह, हलवा, बैरिया, बाबापूल, परसौनी, इंग्लिशिया, लौरिया, बेतिया। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रायबारी महुआ प्र०— 07.05 मोतिहारी प्र०—13.14	आपत्तिकर्ता श्री दिनेश वास्ते श्रीमती गीता सिंह, वाहन सं०—बी.आर. 06 पी.ए. —1024 परमिट सं०—51/2010 हरनाटांड से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०—15.18 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०—15.21 समय अंतराल 03 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित समय—सारणी में बेतिया मध्य बिन्दु है, जबकि मेरे वाहन सं० बी.आर. 06 पी.ए. —1024 पर निर्गत परमिट पर बेतिया मुख्य बिन्दु है।	बी.आर. 06 पी.ए. —1024 टैक्स—14.04.2025 फिटनेस—16.04.2025 इन्श्युरेंस—27.02.2025 प्रदूषण—20.06.2025 वीएलटीडी—16.04.2025 एच०एस०आर०पी०— हॉ। जुर्माना—नहीं।	समय—सारणी के अवलोकन से कई फड़ाव के बीच न्यूनतम गतिस्तीमा का उल्लंघन हो रहा है।		अस्वीकृत।

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / विक्रेता की स्थिति एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
43	श्री राकेश कुमार झा, पिता-श्री रामधुनाथ झा, पता-नया टाला, स्पीकर चौक, जिला-मजफ्फरपुर। बैनर का नाम-जय माता दी।	बी० आर० ०६ पी०सी०-९६५१ टैक्स-०६.०२.२०२५ फिटनेश-०४.१०.२०२५ इन्श्युरेंस-०२.१०.२०२५ प्रदूषण-२२.०९.२०२५ वीएलटीडी-१४.०३.२०२६ एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	बी० आर० ०६ पी०सी०-९६५१ टैक्स-०६.०२.२०२५ फिटनेश-०४.१०.२०२५ इन्श्युरेंस-०२.१०.२०२५ प्रदूषण-२२.०९.२०२५ वीएलटीडी-१४.०३.२०२६ एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-३७९२ पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर, रौशनपानापुर, कौंटी, महनाबाजार, मोतीपुर, साहबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपराकोठी मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-०९.५० बेतिया प्र०-१५.४४	१. आपत्तिकर्ता श्री सुरेन्द्र प्रसाद, वाहन सं०-बी.आर. २२ पी.ए.-६०४३ परमिट सं०-बी०आर० २०२४ एस०सी०-२३८५ए. मार्ग सं०-४८०४, बाल्मिकीनगर से बलुआ चौक। आवेदक मोतिहारी प्र०-१४.२५, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-१४.२७ समय अंतराल ०२ मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निर्णय अनुसार मध्य बिन्दु पर समय अंतराल ३ मिनट का होना चाहिए। आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन मे २१ कि०मी० की दूरी १३९ मिनट मे तय करता है। २. आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार यादव वास्ते श्रीमती प्रियंका कुमारी, वाहन सं०-बी.आर. ३३ पी.ए.-८५८० परमिट सं०-बी०आर० २०२४ एस०सी०-२८१२ए. मार्ग सं०-३७९४, पटना से बेतिया। आवेदक मोतिहारी प्र०-१६.५९, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-१७.०० समय अंतराल ०१ मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निर्णय अनुसार मध्य बिन्दु पर समय अंतराल ३ मिनट का होना चाहिए। ३. आपत्तिकर्ता श्रीमती गीता देवी, वाहन सं०-बी.आर. ०६ पी.ई.-३१४० परमिट सं०-बी०आर०/१०६/एस०सी०/बस/२०१९/१५ मार्ग सं०-३७९७, मैनाटाड़ से पटना। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-१२.०१, आपत्तिकर्ता मजफ्फरपुर प्र०-११.५९ समय अंतराल ०२ मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निर्णय अनुसार मध्य बिन्दु पर समय अंतराल ३ मिनट का होना चाहिए।	बी.आर. २२ पी.ए.-६०४३ टैक्स-२२.०२.२०२५ फिटनेश-२३.०८.२०२६ इन्श्युरेंस-२२.०८.२०२५ प्रदूषण-२३.०८.२०२५ वीएलटीडी-०२.०९.२०२६ एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं। २. बी.आर. ३३ पी.ए.-८५८० टैक्स-१२.०२.२०२५ फिटनेश-११.०४.२०२६ इन्श्युरेंस-०४.०४.२०२५ प्रदूषण-१९.०३.२०२५ वीएलटीडी-०७.०३.२०२६ एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। ३. बी.आर. ०६ पी.ई.-३१४० टैक्स-२७.०२.२०२५ फिटनेश-१०.०६.२०२५ इन्श्युरेंस-१४.०६.२०२५ प्रदूषण-०५.०३.२०२५ वीएलटीडी-१३.०६.२०२५ एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-१०००/-	मोतिहारी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल २ मिनट, जबकि ३ मिनट आवश्यक है। मोतिहारी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल १ मिनट, जबकि ३ मिनट आवश्यक है। मुजफ्फरपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल २ मिनट, जबकि ३ मिनट आवश्यक है।	आवेदन वापस। आवेदन वापस।	आवेदन वापस।

४

५

६

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्माण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अयुक्ति	विवरण	निर्णय
44	श्री राकेश कुमार पिता-शम्भु राय, ग्राम-रसुलपुर सलीम, बी० फैक्ट्री, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- राधे कृष्णा।	बी० आर० ०६ पी.जी. -7961 03.01.2025 मॉडल-2024	बी० आर० ०६ पी.जी. -7961 टेक्स-23.03.2025 फिटनेश-02.01.2027 इन्श्युरेंस-27.12.2025 प्रदूषण-02.01.2026 वीएलटीडी-15.01. 2027 एच०एस०आर०पी० -हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3809 रीगा से मुजफ्फरपुर। भाया-बसन्तपट्टी, पुरनहिया, कुम्मा, धनकौल, परसौनी, बेलसंड, रुन्नीसैदपुर, जनार, कोवाही, झपहां, न्यू जीरोमाईल। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। रीगा प्र०- 04.25, 09.50, 14.50 मुजफ्फरपुर प्र०-06.50, 12.40, 17. 17					स्वीकृत।
45	श्री राजीव कुमार पिता-राम कुमार सिंह, पता-झीटकहिया, मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-N/A	बी० आर० ०६ पी.ई. -7521 06.02.2020 मॉडल-2020	बी० आर० ०६ पी.ई. -7521 टेक्स-28.04.2025 फिटनेश-05.04.2026 इन्श्युरेंस-03.05.2025 प्रदूषण-31.03.2025 वीएलटीडी-11.10. 2025 एच०एस०आर०पी० -हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-415 मुजफ्फरपुर से दरभंगा। भाया-बेनीबाद, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-04.15, 07.54, 13. 43, 19.37 दरभंगा प्र०-06.02, 11.20, 16.44, 21.50	आपत्तिकर्ता श्री अरुण कुमार मिश्रा, वाहन सं०-बी.आर. ०६ पी.एफ.-4190 परमिट सं०-बी०आर० 2023 एस०सी०-0099ए. मार्ग सं०-415, मुजफ्फरपुर से दरभंगा। आवेदक दरभंगा प्र०-16.44 आपत्तिकर्ता दरभंगा प्र०-16.50 समय अंतराल ०६ मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निर्णय अनुसार मुख्य बिन्दु पर समय अंतराल ७ मिनट होना चाहिए।	बी.आर. ०६ पी.एफ.-4190 टेक्स-26.04.2025 फिटनेश-28.08.2026 इन्श्युरेंस-26.07.2025 प्रदूषण-19.08.2025 वीएलटीडी-26.07.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मुजफ्फरपुर से बेनिबाग ३९ कि०मी० की दूरी २८ मिनट में तय किया जा रहा है। गति ८३.६ गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है।		अस्वीकृत।
46	श्री उपेन्द्र ठाकुर, पिता-रघु यदुनंदन ठाकुर, पता-नारायण भेरीयाहि, सिरसियन बुजुर्ग, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- मॉ ट्रेभल्स।	बी० आर० ०६ जी०जी० -4896 26.10.2024 मॉडल-2024	बी० आर० ०६ जी०जी०-4896 टेक्स-25.04.2025 फिटनेश-25.10.2026 इन्श्युरेंस-07.07.2025 प्रदूषण-25.10.2025 वीएलटीडी-27.11. 2026 एच०एस०आर०पी०- हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3638 मुजफ्फरपुर से रतनबा सुगापीपर। भाया-पहाडपुर, कांटी, सोतीपुर, मेहसी, चकिया, मधुबन, फेनहरा। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०- 02.09, 08.15, 18.30 रतनबा सुगापीपर प्र०-05.05, 11. 05, 21.59					स्वीकृत।

३

४

५

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निकटन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अन्वेषित	विवरण	निर्णय
47	श्री जितेश कुमार तिवारी, पिता-श्री बालेश्वर तिवारी, पता- वाल्मिकिनगर, जिला-प० चम्पारण। बैनर का नाम- वाल्मिकि।	बी० आर० ०६ पी. सी. -4545 27.11.2014 मॉडल-2014	बी० आर० ०६ पी. सी. -4545 टेक्स-19.05.2025 फिटनेश-17.07.2025 इन्श्युरेंस-13.12.2025 प्रदूषण-03.09.2025 वीएलटीडी-16.06. 2025 एच०एस०आर०पी०- नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3589 वाल्मिकीनगर से डुमवलिया। भाया-भेड़िहारी, नौरगिया, वाल्मिकीनगर रोड स्टेशन, बगहा स्टेशन। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। वाल्मिकीनगर प्र०-04.41, 09.11, 12.57, 16.51, डुमवलिया प्र०-06.04, 10.23, 14. 29, 18.20,	आपत्तिकर्ता श्री विकास कुमार का कहना है कि दिपनारायण सिंह के नाम से निबंधित वाहन सं०-बी.आर. ०६ पी.बी.-7645, परमिट सं०-बी०आर० 2023 एस०सी०-1044ए. मार्ग सं०-3589, वाल्मिकीनगर से डुमवलिया का बगहा स्टेशन प्रारंभ 14:55 पूर्व से स्वीकृत है, जबकि आवेदक द्वारा बगहा स्टेशन प्रारंभ 14:57 प्रकाशित किया गया है। समय अंतराल ०२ मिनट।	1. बी.आर. ०६ पी.बी.-7645 टेक्स-25.03.2025 फिटनेश-04.02.2025 इन्श्युरेंस-13.04.2025 प्रदूषण-04.11.2025 वीएलटीडी-03.03.2025 एच०एस०आर०पी०- नहीं। जुर्माना-नहीं।	तृतीय खेप में बगहा स्टेशन मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल २ मिनट, जबकि ३ मिनट आवश्यक है। समय -सारणी के अवलोकन से एक से अधिक पड़ाव पर गतिरीमा का उल्लंघन हो रहा है।		अस्वीकृत।
48	श्री प्रभंजन कुमार ठाकुर, पिता-श्री चंद्रशेखर ठाकुर, पता- भवानीपुर जीरात, शस्त्रीनगर, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम- शीत बसंत।	बी० आर० ०६ पी०बी०- ०३९६ ०६.०३.२०१२ मॉडल-2012	बी० आर० ०६ पी०बी०-०३९६ टेक्स-०५.०३.२०२५ फिटनेश-१८.०६.२०२५ इन्श्युरेंस-०४.०६.२०२५ प्रदूषण-०२.०६.२०२५ वीएलटीडी-०६.०६. २०२५ एच०एस०आर०पी० -हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3638 मुजफ्फरपुर से रतनबा सुगापीपर। भाया-पहाड़पुर, कांटी, मोतीपुर, मेहसी, चकिया, मधुबन, फेनहरा, प्रतिदिन दो खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०- ०७.२९, १७.३० रतनबा सुगापीपर प्र०-11.51, 21. ०१					स्वीकृत।

३

५

१

कार्यावली संख्या-3(i) - परिशिष्ट-IV

माह दिसम्बर 2024 का लंबित आवेदनों पर निर्णय

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निर्यन्तन की तिथि एवं मोडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय	
42	श्री मनोज कुमार, पिता-श्री पारस नाथ प्रसाद, पता-हाउस नं०-37 जिरा पकड़ी, भैरोगंज, जिला-पं० चम्पारण। बैनर का नाम-नहीं।	बी० आर० 22 पी०ए०-5824 22.02.2024 मॉडल-2024	बी० आर० 22 पी०ए०-5824 टैक्स-29.01.2025 फिटनेश-21.02.2026 इन्श्युरेंस-15.02.2025 प्रदूषण-21.02.2025 वीएलटीडी-26.02.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-1709 MPPY गुदगुदीग्राम से बेतिया। भाया-रामनगर, सबैया, लौरिया, सनिचरी। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। गुदगुदीग्राम प्र०- 07:10, 14:05 बेतिया प्र०-10:47, 17:15	1. आपत्तिकर्ता दिलिप ठाकुर वास्ते संतोष कुमार राय, वाहन सं०-बी०आर० 22 क्यु०-2525 परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी० 0974ए०, मार्ग सं०-4700, रामनगर से बेतिया। आवेदक रामनगर प्र०-14:47, आपत्तिकर्ता रामनगर प्र०-14:50 समय अन्तराल 3 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता दिलिप ठाकुर वास्ते संतोष कुमार राय, वाहन सं०-बी०आर० 22 पी०-6825 परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी० 2100ए०, मार्ग सं०-4700, रामनगर से बेतिया। आवेदक रामनगर प्र०-07:57, आपत्तिकर्ता रामनगर प्र०-07:59 समय अन्तराल 2 मिनट। 3. आपत्तिकर्ता दिलिप ठाकुर वास्ते अंकित कश्यप वाहन सं०-बी०आर० 06 पी०एफ-1522 परमिट सं०-बी०आर० 2022 एस०सी० 0827ए०, मार्ग सं०-4700, रामनगर से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-10:47, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-10:49 समय अन्तराल 2 मिनट। आवेदक लौरिया प्र०-11:37, आपत्तिकर्ता लौरिया प्र०-11:40 समय अन्तराल 3 मिनट। 4. आपत्तिकर्ता प्रमोद ठाकुर वास्ते रामा विजय सिंह, वाहन सं०-बी०आर० 22 पी०-7185 परमिट सं०-बी०आर० 2023 एस०सी० 1588ए०, मार्ग सं०-4700, रामनगर से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-17:15, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-17:17 समय अन्तराल 2 मिनट। 5. आपत्तिकर्ता ध्रुव कुमार, वाहन सं०-बी०आर० 06 पी०डी०-5561 परमिट सं०-बी०आर० 2023 एस०सी० 0781ए०, मार्ग सं०-3585, वाल्मिकीनगर गोल चौक से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-10:47, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-10:49 समय अन्तराल 2 मिनट।	1. बी०आर० 22 क्यु०-2525 टैक्स-04.02.2025, फिटनेश-05.06.2025, इन्श्युरेंस-08.02.2025, प्रदूषण-04.07.2025, वीएलटीडी-24.12.2025, एच०एस०आर०पी०-हॉं। जुर्माना-नहीं। 2. बी०आर० 22 पी०-6825 टैक्स-20.01.2025, फिटनेश-18.07.2025, इन्श्युरेंस-07.02.2025, प्रदूषण-14.07.2025, वीएलटीडी-14.03.2026, एच०एस०आर०पी०-हॉं। जुर्माना-1000/- 3. बी०आर० 06 पी०एफ-1522 टैक्स-29.03.2025, फिटनेश-11.07.2025, इन्श्युरेंस-08.04.2025, प्रदूषण-07.01.2025, वीएलटीडी-25.06.2025, एच०एस०आर०पी०-हॉं। जुर्माना-नहीं। 4. बी०आर० 22 पी०-7185 टैक्स-18.03.2025, फिटनेश-12.01.2025, इन्श्युरेंस-10.01.2025, प्रदूषण-03.02.2024, वीएलटीडी-नहीं, एच०एस०आर०पी०-हॉं। जुर्माना-नहीं। 5. बी०आर० 06 पी०डी०-5561 टैक्स-23.01.2025, फिटनेश-03.12.2025, इन्श्युरेंस-23.10.2025, प्रदूषण-03.11.2025, वीएलटीडी-07.01.2026, एच०एस०आर०पी०-हॉं। जुर्माना-नहीं।	रामनगर आपत्तिकर्ता के प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 3 मिनट जबकि 7 मिनट आवश्यक है। रामनगर आपत्तिकर्ता के प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 2 मिनट जबकि 7 मिनट आवश्यक है। बेतिया प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 2 मिनट जबकि 3 मिनट आवश्यक है। बेतिया प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 2 मिनट जबकि 3 मिनट आवश्यक है।			MMPY योजना अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु स्वीकृत। आपत्तिकर्ता 2 पर लंबित राशि रु 1000/- के अतिरिक्त रु 10000/- जुर्माना अधिरोपित।

६

५

७

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
48	श्री मनोज कुमार यादव, पिता-रब0 चन्देश्वर राय, पता-विदिगंज, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-नही।	बी0 आर0 06 पी0सी0-8121 16.04.2015 मॉडल-2015	बी0 आर0 06 पी0सी0-8121 टैक्स-15.01.2025 फिटनेश-27.03.2025 इन्श्युरेंस-11.03.2025 प्रदूषण-09.03.2025 वीएलटीडी-27.03.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-17750/-	मार्ग संख्या-2485 रक्सौल से सिवान, भाया-सुगौली, छपवा, मोतिहारी, खजुरिया, मोहम्मदपुर, गोपालगंज, मीरगंज, सिवान। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल-09:08 सिवान प्र0-13:54	आपत्तिकर्ता प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि आवेदित वाहन पर जुर्माना लंबित है एवं वाहन स्लीपर एसी बस है, जबकि नन एसी में निबंधित है। आवेदित वाहन 55 सीट में पास है एवं 65 सीट लगा हुआ है।		मोटरयान निरीक्षक आर0टी0ए0 मुजफ्फरपुर के पत्रांक 56 दिनांक 24.01.2025 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वाहन में एसी अधिष्ठापित है एवं बैठान क्षमता 36 सीटर+10 स्लीपर है, जबकि आवेदक द्वारा सचिका में समर्पित आर0सी0 के अनुसार वाहन स्लीपर एसी बस में निबंधित है। आपत्तिकर्ता द्वारा अपने वाहन संख्या एवं परमिट संख्या का उल्लंख नहीं किया गया है एवं पर्याप्त साक्ष्य भी समर्पित नहीं किया गया है।		स्वीकृत।

६

*

२

अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन पत्रों पर विचार।

क्र०	वाहक का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	अभ्युक्ति	निर्णय
1	श्री सत्येन्द्र राय, पिता-चन्द्रावली राय, ग्राम+पो0- 7253 रत्न सराय, थाना-बरौली, गोपालगंज।	BR28E-6290 परमिट संख्या- BR/109/SC/2019/95 टैक्स-23.03.2025 फिटनेश-15.08.2025 इन्श्युरेंस-12.07.2025 प्रदुषण-05.08.2025 वी.एल.टी.डी.-07.09.2025 जुर्माना- नहीं।	3000/- 08.01.2025	मार्ग संख्या-2199, सिवान से मोतिहारी, भाया-मीरगंज, गोपालगंज, महमदपुर, खजुरी। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। सिवान प्र०-05:50,15:15 मोतिहारी प्र०-10:10, 20:00			स्वीकृत।
2	श्री सत्येन्द्र मिश्रा, पिता-ठाकुर मिश्रा, पता-अजय कुमार वर्मा नरसिंहोम के पास, गोपालपुर, मोतीहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण।	BR05PB-5204 परमिट संख्या- BR20263-SC-273A टैक्स-16.02.2025 फिटनेश-13.03.2025 इन्श्युरेंस-12.02.2025 प्रदुषण-13.08.2025 वी.एल.टी.डी.-02.03.2025 जुर्माना- नहीं।	3000/- 08.01.2025	मार्ग संख्या-3675 रक्सौल से गुठनी, भाया-रमगढ़वा, सुगौली, छपवा, मोतीहारी, खजुरिया, महमदपुर, गोपालगंज, मीरगंज, सिवान। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-06:05 गुठनी प्र०-12:15			स्वीकृत।

₹

₹

₹

3	<p>श्री कामेश्वर मिश्रा, पिता-गुल्ली मिश्रा, पता-लीरा संग्रामपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण।</p>	<p>BR05PA-8672 परमिट संख्या- BR2024-SC-2743A टैक्स-12.04.2025 फिटनेश-05.02.2026 इन्श्युरेंस-30.01.2025 प्रदुषण-01.02.2025 वी.एल.टी.डी.-02.02.2026 जुर्माना- नहीं।</p>	<p>3000/- 09.01.2025</p>	<p>मार्ग संख्या-3671 गुठनी से रक्सौल, भाया-सिवान, गोपालगंज, महमदपुर, खजुरिया, अरराज, हरसिद्धि, छपवा, सुगौली, समगढ़वा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। गुठनी प्र0-04:38 रक्सौल प्र0-11:16</p>	<p>आपत्तिकर्ता श्री आलोक कुमार पाण्डेय, वाहन सं0-बी0आर0 05 पी0बी0-7301, परमिट सं0-बी0आर0 2024 एस0सी0-2064ए0, मार्ग सं0-2485 डाउन, सिवान से रक्सौल, आवेदक सिवान प्र0-05:34 आपत्तिकर्ता सिवान प्र0-05:32 समय अन्तराल 2 मिनट।</p>	<p>बी0आर0 05 पी0बी0-7301 टैक्स-04.03.2025 फिटनेश-09.06.2026 इन्श्युरेंस-04.06.2025 प्रदुषण-29.07.2025 वी.एल.टी.डी.-011.06. 2026 जुर्माना-नहीं।</p>	<p>स्वीकृत।</p>
---	--	---	------------------------------	--	--	--	-----------------

६

४

७

कार्यावली सं० (3)(ii)

परिशिष्ट-V

माह-जनवरी-2025

एजेन्ट अनुज्ञप्ति

क्र० संख्या	आवेदक का नाम एवं पता	आधार संख्या	शुल्क	चरित्र प्रमाण-पत्र	अभ्युक्ति	निर्णय
1	श्री दिलीप कुमार, पिता-नागेन्द्र ठाकुर, पता-किनारू, मनियारी, थाना-मनियारी, जिला-मुजफ्फरपुर। पिन कोड-844127	599832629028	3500/- 06.01.2025	पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर का प्रमाण पत्र संख्या-BCHC/2024/977208 दिनांक-21.10.2024	नवीकरण अनुज्ञप्ति।	स्वीकृत।
2	श्री प्रहलाद कुमार सिंह, पता-स्व० राम स्वार्थ सिंह, पता-एम०पी० साइंस कॉलेज, मझौलिया, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर।	840855537943	3500/- 06.01.2025	पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर का प्रमाण पत्र संख्या-BCHC/2024/977057 दिनांक-22.10.2024	नवीकरण अनुज्ञप्ति।	स्वीकृत।

अपर समाहता (राजस्व)

-सह-सदस्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

30.01.25

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।